

परियोजना निर्माण एवं निष्पादन

2.1 जैसा कि अनुच्छेद 1.4 में संदर्भित है, परियोजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन में डीडीयूजीजेवाई योजना के निम्नलिखित कारकों को सम्मिलित किया गया है:

- **कृषि एवं गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण:** फीडर पृथक्करण से अभिप्राय कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को समर्पित फीडरों से पृथक् रूप से विद्युत की आपूर्ति किया जाना जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति का विवेकपूर्ण तरीके से रोस्ट्रिंग की सुविधा प्रदान किया जाना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उचित ऊर्जा लेखांकन हेतु तंत्र उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर्स, फीडर एवं उपभोक्ताओं के छोर पर मीटरिंग सहित **उप-पारेषण एवं वितरण की आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण एवं आवर्धन;** तथा
- **12वीं व 13वीं योजना हेतु आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण।**

परियोजना निर्माण

2.2 योजना के अंतर्गत परियोजना निर्माण दो चरणों में किया जाना था। चरण- I में वितरण प्रणाली के दक्ष प्रबंधन हेतु सभी प्रासंगिक मानकों⁸ एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत चल रहे कार्यों पर विचार करते हुए फीडर पृथक्करण की आवश्यकता एवं उप-पारेषण व वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों की पहचान की जानी थी। चरण- II में आरईसी द्वारा प्रथम चरण में मान्य कार्य का व्यापक कार्यक्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण एवं कार्य की विभिन्न मदों के लिए दरों की नवीनतम अनुमोदित अनुसूची के आधार जिला/वृत्त/क्षेत्रवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किये जाने थे। इकाइयों को डीपीआर तैयार करते समय उपक्रमों को संसद सदस्य सहित जन प्रतिनिधियों से परामर्श करना एवं आरईसी को डीपीआर प्रस्तुत करते समय इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक था।

आवश्यकता आंकलन दस्तावेज तैयार करना

2.3 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्कॉम्स को निर्धारित प्रारूप (आरईसी द्वारा परिचालित) में आवश्यकता आंकलन दस्तावेज (एनएडी) तैयार करने आवश्यक थे जिसमें प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र एवं लागत अनुमानों की पुष्टि करने हेतु औचित्यता (प्राथमिक रूप से भार प्रवाह अध्ययन के माध्यम से) के साथ सभी प्रासंगिक सूचनाएं हों। एनएडी दस्तावेज में प्रस्तावित अवसंरचना (नए सब-स्टेशनों, फीडरों का आवर्धन, डीटी, एलटी लाइन, कैपेसिटर बैंक, मीटर

8 उपभोक्ता मिश्रण, उपभोग पद्धति, वोल्टेज विनियमन, एटीएंडसी हानि स्तर, एचटी व एलटी अनुपात, ट्रांसफार्मर्स एवं फीडर/लाइनों का अनुकूलतम भार, प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रबंधन, विद्युत घटक सुधार, निष्पादन के मानक इत्यादि।

इत्यादि) के साथ परियोजना क्षेत्र, का सामान्य विवरण विद्युत आपूर्ति, चालू योजनाओं, उपभोक्ताओं, घरों, गांवों, विद्यमान अवसंरचना का विवरण (सबस्टेशनों, फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मर्स, एलटी लाइन, मीटरों इत्यादि) शामिल होना चाहिए था। योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले कार्य के विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं संबंधित डिस्कॉम्स के परामर्श से कुल लागत पर पहुंचने के लिए आरईसी द्वारा एनएडी की जांच की जानी आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी फीडर पृथक्करण की आवश्यकता एवं उप-पारेषण व वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों को चिन्हित करने हेतु एनएडी तैयार नहीं किया था जिसके आधार पर कार्य के क्षेत्र का निर्णय किया जाना था। एनएडी के अभाव में, परिकल्पित/निष्पादित कार्य/मात्रा में वृहद विचलन पाए गये थे, जैसा कि **अनुच्छेद 2.11** में उजागर किया गया है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि एनएडी समय एवं निधि की बाध्यता के कारण तैयार नहीं किया गया था। इसने आगे कहा कि योजना में परिकल्पित कार्य गत योजनाओं के अन्तर्गत भी किए गये थे एवं नियमित रूप से निगरानी की जाती थी। साथ ही, डिस्कॉम्स के गतिशील आंकड़ों एवं सब-स्टेशनों एवं लाइनों के डिजाइन के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यावहारिक आंकड़ों की उपलब्धता को देखते हुए भार प्रवाह अध्ययन नहीं किया गया था।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एनएडी को तैयार किया जाना था जो कि फीडर पृथक्करण की आवश्यकता एवं उप-पारेषण व वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों को चिन्हित करने में सहायता कर सकता था। साथ ही, डिस्कॉम्स ने एनएडी तैयार किए जाने हेतु पृथक निधि प्रदान किए जाने के मुद्दे को आरईसी/एमओपी के समक्ष कभी भी नहीं उठाया था।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना

2.4 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आरईसी द्वारा प्रथम चरण में मान्य किए गये व्यापक कार्यक्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण एवं कार्य की विभिन्न मर्दों के लिए दरों की नवीनतम अनुमोदित अनुसूची के आधार पर तैयार किए जाने आवश्यक थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अजमेर डिस्कॉम्स ने डीपीआर विभागीय रूप से तैयार किए जबकि जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने डीपीआर तैयार करने हेतु वैपकोस लिमिटेड को नियुक्त किया (मार्च 2015)। जारी किए गए कार्यादेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित था:

- एमओपी के दिशानिर्देशों के अनुसार जीपीएस के साथ अध्ययन, क्षेत्र सर्वेक्षण;
- कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु एचटी फीडरों के भौतिक पृथक्करण के लिए प्रस्ताव;
- नए वितरण ट्रांसफार्मर्स एवं विद्यमान वितरण ट्रांसफार्मर्स का संवर्धन/परिवर्धन;
- वितरण ट्रांसफार्मर्स एवं संबद्ध एलटी लाइनों के लिए पुनः स्थान निर्धारण;
- नए फीडरों से निकासी हेतु एचटी लाइनों का निर्माण;
- 33 केवी एवं 11 केवी प्रणाली का अध्ययन एवं प्रस्ताव तथा विद्यमान अतिभारित 33 केवी एवं 11 केवी फीडरों का विभाजन व संवर्धन;
- नए सब-स्टेशनों का निर्माण एवं विद्यमान अतिभारित सब-स्टेशनों का संवर्धन; एवं
- ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा हेतु सब-स्टेशनों, फीडरों तथा उपभोक्ताओं की मीटरिंग का प्रस्ताव।

डिस्कॉम्स द्वारा तैयार की गई डीपीआर की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुईं:

- **जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम:** कार्यादेश में उल्लिखित कार्यों की मात्रा के आंकलन हेतु, वैपकोस को दोनों डिस्कॉम्स के अधिकृत अभियंताओं के परामर्श से एक विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण करना था एवं इसे डिस्कॉम्स के संबंधित अधीक्षण अभियंता, संचालन एवं रखरखाव (एसई, ओएंडएम) से अनुमोदित करवाना था। तथापि, वैपकोस द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण किए जाने एवं डिस्कॉम्स के संबंधित एसई (ओएंडएम) वृत्त द्वारा इसके अनुमोदन के संबंध में अभिलेखों में कुछ भी नहीं पाया गया था।
- इसी प्रकार, **अजमेर डिस्कॉम** में, डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व संबंधित ओएंडएम वृत्त द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण करने की कोई जानकारी अभिलेखों में नहीं पाई गई थी।

सरकार ने कहा कि डीपीआर परामर्शदाता एवं संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विस्तृत संयुक्त सर्वेक्षण के पश्चात तैयार किए गये थे। डीपीआर एसई (ओएंडएम) वृत्त द्वारा अनुमोदित की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स परियोजना-वार विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को प्रदान करने में विफल रहे थे।

परियोजनाओं का अनुमोदन

2.5 एसएलएससी ने डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत गैर-विद्युतिकृत ग्रामीण गृहों के विद्युतीकरण; कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ता फीडरों के पृथक्करण; वितरण तंत्र के सुदृढीकरण हेतु सभी तीनों डिस्कॉम्स की ₹ 3,557.32 करोड़⁹ की 33 परियोजनाओं की डीपीआर को आरईसी के माध्यम से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुमोदित किया (जुलाई 2015)। तथापि, आरईसी के डीडीयूजीजेवाई वेब पोर्टल पर केवल ₹ 3,241.05 करोड़¹⁰ की 33 परियोजनाओं की डीपीआर अपलोड की गई थी जिसके लिए अभिलेखों में कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया गया था। आरईसी ने, ₹ 3,241.05 करोड़ की मांग के समक्ष, निगरानी समिति की ₹ 2,819.41 करोड़¹¹, ₹ 14.03 करोड़ के परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) प्रभारों सहित, की स्वीकृति से अवगत करवाया (अगस्त 2015)। साथ ही, आरईसी ने राज्य सरकार को ऑनलाइन वेब पोर्टल पर घटक-वार एवं परियोजनावार स्वीकृत लागत के भीतर पूरक डीपीआर (अनुमोदित मापदंडों पर आधारित पर पुर्ननिर्मित) प्रस्तुत करने के लिए कहा (सितंबर 2015)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा तैयार की गई पूरक डीपीआर (पीएमए प्रभारों के अतिरिक्त ₹ 2,805.38 करोड़) वेब पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व एसएलएससी के समक्ष इसके

9 जयपुर डिस्कॉम- ₹ 1,043.36 करोड़, अजमेर डिस्कॉम- ₹ 955.02 करोड़, जोधपुर डिस्कॉम- ₹ 1,558.94 करोड़।

10 जयपुर डिस्कॉम- ₹ 1,158.62 करोड़, अजमेर डिस्कॉम- ₹ 955.01 करोड़, जोधपुर डिस्कॉम- ₹ 1,127.42 करोड़।

11 जयपुर डिस्कॉम- ₹ 1,032.22 करोड़, अजमेर डिस्कॉम- ₹ 833.50 करोड़, जोधपुर डिस्कॉम- ₹ 953.69 करोड़।

अनुमोदन हेतु नहीं रखे गये थे। साथ ही, जिस दिनांक को पूरक डीपीआर अपलोड किए गए थे, वह डिस्कॉम्स के अभिलेखों में नहीं पाये गये थे।

सरकार ने कहा कि एसएलएससी ने मूल प्रस्तावों को अनुमोदित किया था एवं इसलिए पुर्ननिर्मित डीपीआर को समयबद्ध रूप से अपलोड सुनिश्चित करने हेतु, इसके समक्ष आगामी संशोधनों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसने आगे कहा कि लागत वृद्धि को टालने हेतु डिस्कॉम्स को समय सीमा का ध्यान रखना था एवं इसलिए, डीपीआर में विचलनों/सुधारों को परियोजनाओं के समापन के समय एसएलएससी से अनुमोदित करवा लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने में, सांविधिक समिति की औपचारिक स्वीकृति साधारणतया अंतिम चरण में प्राप्त की जाती है।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि एसएलएससी जिसका गठन, निगरानी समिति के अनुमोदन हेतु डीपीआर की सिफारिश करने एवं परियोजना कार्यों में दोहराव/अतिव्यापनता की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, को पूरक डीपीआर तैयार करते समय सम्मिलित किए गए परिवर्तनों/संशोधनों/कटौतियों से अवगत/शामिल नहीं किया गया था। साथ ही, एसएलएससी की अनदेखी करने हेतु दिया गया तर्क भी स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पूरक डीपीआर तैयार करते समय एसएलएससी को शामिल नहीं करने से इसके गठन का उद्देश्य ही विफल हो गया था। साथ ही, चूंकि तिथि, जिस पर पूरक डीपीआर अद्यतन की गई थी, उपलब्ध नहीं थी, समय पर पुर्ननिर्मित डीपीआर को अपलोड किए जाने का सरकार का दावा लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर तंत्र

2.6 डीडीयूजीजेवाई में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर तंत्र (एनओएफएन) के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे ऑप्टिक फाइबर तंत्र का विस्तार करके डिस्कॉम्स के सभी 33 केवी या 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों/बिलिंग कार्यालयों/क्षेत्रीय/वृत्त/मंडल कार्यालयों को जोड़ा जाना परिकल्पित था। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत टर्मिनल उपकरण सहित एनओएफएन के अनुपस्थित लिंक को जोड़ने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया था, बशर्ते ऐसी संयोजकता भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत शामिल/अनुमोदित न हो।

डिस्कॉम्स को राज्य में एनओएफएन कार्यक्रम हेतु भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अथवा किसी प्राधिकृत एजेंसी जैसे कि बीएसएनएल, रेलटेल, पीजीसीआईएल आदि के परामर्श से पृथक एवं समेकित डीपीआर तैयार करनी आवश्यक थी। साथ ही, प्रस्तावित कार्यान्वयन पद्धति एवं माइलस्टोन्स लागत के साथ डीपीआर में शामिल किये जाने थे एवं एसएलएससी की सिफारिश के पश्चात, डीपीआर आरईसी को प्रस्तुत किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स के सभी 33 केवी या 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशन/बिलिंग कार्यालय/क्षेत्रीय/वृत्त/मंडल कार्यालय ऑप्टिकल फाइबर तंत्र से जुड़े हुए नहीं थे। तथापि, डिस्कॉम्स ने एनओएफएन के अंतर्गत ऑप्टिक फाइबर तंत्र के लिए डीपीआर तैयार नहीं किए थे जिसके लिए अभिलेखों में कोई कारण नहीं पाया गया था। इस प्रकार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रावधान होने के उपरांत भी पहल नहीं किए जाने के कारण, डिस्कॉम्स अपने जीएसएस/बिलिंग कार्यालयों एवं अन्य परिसरों को ऑप्टिकल फाइबर तंत्र से जोड़ने से वंचित रह गए।

सरकार ने कहा कि एनओएफएन को विकसित किए जाने के स्थान पर ग्रामीण तंत्र सुदृढीकरण को प्राथमिकता दी गई थी। इसने आगे कहा कि एनओएफएन को सम्मिलित किए जाने से अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध निधियों के और कम हो सकती थी।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों में एनओएफएन हेतु डीपीआर तैयार किया जाना परिकल्पित था एवं एनओएफएन के कार्यान्वयन हेतु 100 प्रतिशत अनुदान का पृथक प्रावधान था। इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने भारत सरकार से शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त करके एनओएफएन को कार्यान्वित किए जाने का अवसर खो दिया।

परियोजना निष्पादन

योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब

2.7 डिस्कॉम्स द्वारा जिला/वृत्त/मंडल-वार डीपीआर तैयार किए जाने थे एवं राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) द्वारा सिफारिश किए जाने के पश्चात, डीपीआर वेब पोर्टल के माध्यम से आरईसी को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने थे। प्रत्येक डीपीआर की एक हार्ड कॉपी (वेब पोर्टल से मुद्रित की गई) भी अभिलेख एवं संदर्भ के लिए आरईसी को प्रस्तुत की जानी थी। निगरानी समिति (एमसी) के अनुमोदन के पश्चात, टर्नकी परियोजनाओं एवं आंशिक टर्नकी/विभागीय आधार परियोजनाओं को डिस्कॉम्स द्वारा कार्यादेश प्रपत्र (एलओए) जारी करने की दिनांक से क्रमशः 24 माह एवं 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना था।



परियोजनाओं को प्रदान करने में विलम्ब

2.8 डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाएं एमसी द्वारा अनुमोदन की सूचना की तिथि से छः माह के भीतर प्रदान की जानी थी। एसएलएससी को डीपीआर प्रस्तुत किए जाने, इसके अनुमोदन, आरईसी को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने, एमसी के अनुमोदन, एलओए जारी किए जाने की तिथि एवं परियोजनाओं के पूर्ण होने की प्रगति का विवरण **अनुबंध-2** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम ने ठेकेदारों को एलओए जारी किए जाने में, एमसी द्वारा अनुमोदन किए जाने की तिथि से छः माह के आगे, सारभूत समय लिया जोकि क्रमशः 164 से 276 दिवसों, 276 से 331 दिवसों एवं 185 से 352 दिवसों के मध्य था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एलओए जारी करने में विलंब मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) को अंतिम रूप नहीं देने; ठेकेदारों को आपूर्ति हेतु उच्च कीमत मदों¹² के प्रापण किए जाने का प्रारंभिक निर्णय, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था; विनिर्देश को अंतिम रूप देने में विलंब; बोलीदाताओं से अपर्याप्त प्रतिक्रिया आदि, जिसके कारण बोली खोलने की दिनांक कई बार बढ़ाई गई थी, के कारण था। इसके अतिरिक्त, कोई भी परियोजना निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुई थी, तथापि, एमओपी, भारत सरकार ने स्वतः ही परियोजनाओं को पूर्ण करने की समय सीमा को क्रमशः मार्च 2020 तक एवं पुनः मार्च 2021 तक (अगस्त 2019 एवं जुलाई 2020) बढ़ा दिया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने एवं निविदा के तरीके, डिस्कोम्स की बीओडी के निर्देशों के अनुसार बोलीदाताओं के साथ पुनः मोलभाव को देखते हुए परियोजनाओं को प्रदान करने में विलंब वास्तविक था।

परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब

2.9 योजना के प्रावधान एवं एलओए में निर्दिष्ट नियमों व शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों को उन्हें प्रदान किये गए कार्यों को एलओए जारी होने की तिथि से 24 माह की अवधि में पूर्ण करना आवश्यक था। साथ ही, कार्यादेशों में निर्दिष्ट नियमों व शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों को कार्य की वास्तविक मात्रा का आंकलन करने हेतु डिस्कोम्स के अधिकृत अभियंता के साथ जीपीएस आधारित विस्तृत सर्वेक्षण किए जाने थे। उन्हें एलओए जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि में राजनीतिक मानचित्र पर उचित सत्यता के साथ जीपीएस समन्वय का उल्लेख करते हुए ऑटोकैड पर एकल रेखा आरेख भी तैयार करने थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना के अंतर्गत प्रदान की गई 33 परियोजनाओं में से कोई भी मूल रूप से निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हुई थी एवं जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कोम्स में क्रमशः 367 दिवसों से 857 दिवसों, 697 दिवसों से 752 दिवसों एवं 19 दिवसों से 604 दिवसों के मध्य अत्यधिक विलंब था। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि परियोजनाएं निम्नलिखित कारणों से निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हो सकी:

- ठेकेदारों द्वारा सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब,
- डिस्कोम्स के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण की गई बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) के अनुमोदन में विलंब,
- ग्रीड सब-स्टेशन (जीएसएस) के स्थान/स्थल एवं सपाट सीमेण्ट कंक्रीट (पीसीसी) स्तंभों के विनिर्देशों में परिवर्तन,
- डीडीयूजीजेवाई कार्यों से पूर्व 'पॉवर फोर ऑल' हेतु प्राथमिकता में परिवर्तन, एवं
- 'सौभाग्य' योजना के अंतर्गत कार्य को संबंधित परियोजना के ही ठेकेदार को प्रदान करने ने भी डीडीयूजीजेवाई परियोजना के कार्यान्वयन की गति को धीमा किया।

सभी तीनों डिस्कोम्स की चयनित परियोजनाओं में, लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित ठेकेदार ने प्राधिकृत अभियंता के साथ एक बार में सम्पूर्ण सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण करने के स्थान पर, टुकड़ों में सर्वेक्षण किया अर्थात् ब्लॉक-वार सर्वेक्षण किया एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् उस ब्लॉक में कार्य शुरू किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस पद्धति को अपनाने के कारण,

12 पॉवर ट्रांसफार्मर्स, वितरण ट्रांसफार्मर्स, एबी केबल, कंडक्टर, मीटर एवं भूमिगत केबल।


डिस्कॉम्स के प्राधिकारी कार्य/बीओक्यू की वास्तविक मात्रा का आंकलन करने की स्थिति में नहीं थे एवं डीपीआर में आंकलित कार्य एवं क्षेत्र में निष्पादित कार्य में अत्यधिक विचलन था (जैसा कि ऊपर तालिका 2.1 में दर्शाया गया है)। साथ ही, इससे कार्य निष्पादन में भी सारभूत विलंब हुआ क्योंकि प्रत्येक अवसर पर, ठेकेदार ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही कार्य शुरू किया।

सरकार ने सम्पूर्ण सर्वेक्षण को एक बार में नहीं किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि लोक अशांति को टालने के लिए ब्लॉक-वार सर्वेक्षण सामयिक स्थिति की आवश्यकता थी। इसने आगे स्वीकार किया कि ब्लॉक-वार सर्वेक्षण में विलंब हुआ लेकिन न्यूनतम लोक बाधाओं के साथ निष्पादन में आसानी की तुलना में यह महत्वपूर्ण नहीं था। पूर्णता में विलंब के मुद्दे पर, सरकार ने कहा कि सभी परियोजना कार्य आरईसी द्वारा आवंटित समय सीमा में पूर्ण कर लिए गये थे।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कोई भी परियोजना कार्य मूल रूप से निर्दिष्ट समय सीमा में पूर्ण नहीं किए जा सके एवं योजना का विस्तार परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब के कारण हुआ था। साथ ही, ब्लॉक-वार सर्वेक्षणों ने भी कार्य की वास्तविक मात्रा/बीओक्यू का अनुचित आंकलन किया एवं परियोजनाओं के निष्पादन में असामान्य विलंब का कारण बना।

परियोजना की घटक-वार स्वीकृत लागत के समक्ष वास्तविक लागत

2.10 परियोजनाओं की घटक-वार स्वीकृत लागत एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रत्येक घटक पर 31 दिसम्बर 2020¹³ तक किया गया वास्तविक व्यय नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:



नोट: 31 दिसम्बर 2020 को लागत के वास्तविक आंकड़े हैं।

13 डिस्कॉम्स के पास दिसम्बर 2020 के पश्चात वास्तविक लागत का घटक-वार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत परिकल्पित एवं स्वीकृत फीडर पृथक्करण, तंत्र सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग आदि से संबंधित कार्यों को कम करके ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों पर अधिक व्यय किया।

फीडर पृथक्करण (₹ 665.04 करोड़), तंत्र सुदृढ़ीकरण (₹ 600.76 करोड़), ग्रामीण विद्युतीकरण (₹ 1,186.69 करोड़) एवं मीटरिंग (₹ 352.92 करोड़) हेतु स्वीकृत लागत के समक्ष डिस्कॉम्स ने इन चार घटकों पर क्रमशः ₹ 329.30 करोड़, ₹ 539.63 करोड़, ₹ 1,740.14 करोड़ एवं ₹ 41.21 करोड़ व्यय किए। यह इंगित करता था कि डिस्कॉम्स ने अन्य तीन घटकों हेतु आवंटित निधियों में कटौती कर मुस्तयः ग्रामीण विद्युतीकरण पर ध्यानकेंद्रित किया।

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

2.11 योजना के अंतर्गत, भौतिक उपलब्धियां मुख्य रूप से फीडर पृथक्करण (भौतिक एवं वस्तुतः दोनों); उप-पारेषण एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण; माइक्रो-ग्रिड एवं ऑफ-ग्रिड वितरण तंत्र एवं सब-स्टेशनों, फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मरों एवं उपभोक्ता के परिसर में मीटरिंग (बिना मीटर वाले कनेक्शन, दोषपूर्ण मीटर एवं इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मीटर के प्रतिस्थापन के लिए) से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, 12वीं एवं 13वीं योजना हेतु आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण को भी आरजीजीवीवाई को डीडीयूजीजेवाई में समाहित करके पूर्ण किया जाना था।

स्वीकृत/अनुमोदित भौतिक कार्यों के साथ-साथ 31 मार्च 2021 तक वास्तविक पूर्ण किए गये कार्यों के डिस्कॉम्-वार विवरण अनुबंध-3 में दिए गये हैं।

फीडर पृथक्करण एवं तंत्र सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत लिए गये विभिन्न कार्यों की मात्रा में अत्यधिक विचलन था, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 2.1

स्वीकृत, प्रदान किए गए भौतिक प्रगति का 31 मार्च 2021 को विवरण

क्र.सं.	विवरण	इकाई	स्वीकृत एवं प्रदान की गई मात्रा	मार्च 2021 तक वास्तविक पूर्ण मात्रा	प्रतिशतता
1.	फीडर पृथक्करण (क्र.सं 6 के अलावा)	संख्या	2551	1498	59
2.	नए 33/11केवी सब-स्टेशन	संख्या	208	230	111
3.	33/11केवी सब-स्टेशन का संवर्धन	संख्या	5	80	1600
4.	वितरण ट्रांसफार्मर्स	संख्या	39084	75093	192
5.	एलटी लाईन	सीकेएम ¹⁴	22683.00	44279.80	195
6.	11केवी लाईन	सीकेएम	21414.43	19755.44	92
7.	33 व 66केवी लाईन	सीकेएम	1930.70	1751.92	91
8.	ऊर्जा मीटर-उपभोक्ता (अ+ब)	संख्या	961827	589838	61
अ	नये कनेक्शन		523062	589838	113
ब	दोषपूर्ण मीटर का प्रतिस्थापन		438765	0	0
9.	ऊर्जा मीटर-11केवी फीडर	संख्या	8562	2182	26

स्रोत: डीपीआर एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना

- डीडीयूजीजेवाई प्रारंभ किए जाते समय 7,22,360 अ-विद्युतीकृत ग्रामीण गृह (आरएचएच) थे। डिस्कॉम्स-वार अ-विद्युतीकृत आरएचएच का विवरण तालिका 2.3 में दिया गया है। इन अ-विद्युतीकृत आरएचएच को कनेक्शन प्रदान किए जाने के लिए, डीपीआर में मात्र 5,23,062 ऊर्जा मीटर एवं 39,084 वितरण ट्रांसफार्मर्स (डीटी) परिकल्पित किए गये थे जिसके समक्ष, 5,89,838 आरएचएच को विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए 31 मार्च 2021 तक कुल 75,093 डीटी स्थापित किए गए थे।
- यद्यपि डीपीआर में प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं नए कनेक्शन हेतु डीटी की स्थापना परिकल्पित की गई थी परन्तु नए डीटी पर मीटर स्थापित करने एवं डीटी पर स्थापित दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
- सभी 33 जिलों/परियोजनाओं की डीपीआर में योजना के अंतर्गत 41,765 गांवों/बस्तियों को विद्युतीकृत किए जाने हेतु सम्मिलित किया गया था। तथापि, 16,765 गांव/बस्तियाँ (22 जिले/परियोजनाएं) एवं 2,327 गांव/बस्तियाँ (17 जिले/परियोजनाएं), जिन्हें अ-विद्युतीकृत दर्शाया गया था, टर्नकी ठेकेदारों द्वारा कार्य को निष्पादित किए जाने से पूर्व किए गये स्थल सर्वेक्षण के समय क्रमशः पूर्व से ही विद्युतीकृत एवं अस्तित्व में नहीं पाये गये थे, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 2.2

विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित गांवों/बस्तियों की डिस्कॉम-वार स्थिति

(आंकड़े संख्या में)

डिस्कॉम	विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित गांव/बस्तियाँ		गांव/बस्तियाँ, जो कि स्थल सर्वेक्षण के दौरान पूर्व में ही विद्युतीकृत पाये गये थे		गांव/बस्तियाँ, जो कि स्थल सर्वेक्षण के दौरान अस्तित्व में नहीं पाये गये थे	
	जिले/परियोजनाएं	गांव/बस्तियाँ	जिले/परियोजनाएं	गांव/बस्तियाँ	जिले/परियोजनाएं	गांव/बस्तियाँ
जयपुर	12	9026	9	7624*	9	1705
अजमेर	11	13266	4	1153	2	115
जोधपुर	10	19473	9	7988	6	507
योग	33	41765	22	16765	17	2327

स्रोत: डीपीआर एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना

*जयपुर डिस्कॉम ने सूचित किया कि यह आंकड़ा ठेकेदार द्वारा किए गये सर्वेक्षण से संबंधित है एवं इसमें कुछ बस्तियाँ/गांव सम्मिलित हैं जो डीपीआर में सम्मिलित नहीं हैं।

नये कनेक्शन प्रदान करने/दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन हेतु 14,59,173 ऊर्जा मीटरों¹⁵ की आवश्यकता के समक्ष डिस्कॉम्स ने डीपीआरों में 9,61,827 ऊर्जा मीटरों का ही प्रावधान रखा, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

15 ऊर्जा मीटर (यथा उपभोक्ता के छोर पर स्थापित किया गया मीटर) एक ऐसा उपकरण है जो उपभोग की गई विद्युत की मात्रा को मापता है।

तालिका संख्या 2.3

डिस्कॉम-वार ऊर्जा मीटरों की आवश्यकता के समक्ष डीपीआरों में किया गया प्रावधान

(आंकड़े संख्या में)

डिस्कॉम	डीडीयूजीजेवाई के प्रारंभ में ऊर्जा मीटरों की आवश्यकता			डीपीआरों में प्रावधित किए गये ऊर्जा मीटर		
	आरएचएच को नये कनेक्शन जारी करने हेतु	विद्यमान दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन हेतु	योग	आरएचएच को नये कनेक्शन जारी करने हेतु	विद्यमान दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन हेतु	योग
जयपुर	152888	145513	298401	160476	129589	290065
अजमेर	213884	382290	597074	87879	309176	397055
जोधपुर	355588	208110	563698	274707	0	274707
योग	722360	735913	1459173	523062	438765	961827

स्रोत: डीपीआर एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना

डिस्कॉम्स ऊर्जा मीटरों को स्थापित किए जाने के लक्ष्यों (जो कि आवश्यकता से कम थे) को भी प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वह केवल 5,89,838 ऊर्जा मीटर¹⁶ ही स्थापित कर सके। लक्षित स्थापना की अनुपलब्धि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दोषपूर्ण मीटरों को प्रतिस्थापन नहीं किए जाने के कारण थी।

इस प्रकार, परियोजना डीपीआरों को तैयार किए जाने से पूर्व विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के अभाव में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की परिकल्पित/अनुमोदित मात्रा में वृहद विचलन था। इससे यह भी प्रकट होता है कि डीपीआर वास्तविक आंकड़ों पर तैयार नहीं किए गए थे एवं इसलिए निष्पादित कार्यों के बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) को बार-बार संशोधित करना पड़ा था। कार्यों के निष्पादन में पायी गई कमियों की चर्चा अनुच्छेदों 2.12 से 2.15 में की गई है।

सरकार ने कहा कि डीपीआर विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात तैयार किए गए थे एवं फीडर पृथक्करण एवं प्रणाली सुधार गतिविधि में मात्रा में विचलन समय व्यतीत होने के कारण स्थल की स्थितियों में परिवर्तन, अन्य योजनाओं के अंतर्गत घरेलू कनेक्शन जारी करने को प्राथमिकता देने, केंद्रीय श्रम दर संविदा (सीएलआरसी) के माध्यम से कार्यों के निष्पादन एवं निधियों की सीमा के कारण था।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि अभिलेखों में विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण प्रतिवेदन नहीं पाए गए थे। साथ ही, गांव/बस्तियाँ, जो कि पूर्व में ही विद्युतीकृत थी अथवा विद्यमान नहीं थी, को डीपीआर में सम्मिलित किए जाने ने इंगित किया कि सर्वेक्षण उचित रूप से नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, समय अंतराल मात्राओं में सारभूत विचलनों (26 प्रतिशत एवं 195 प्रतिशत¹⁷ के मध्य) को न्यायोचित नहीं ठहराता था एवं डीपीआर तैयार करते समय, नियोजन स्तर पर एक विस्तृत सर्वेक्षण करके एवं योजना समूह को शामिल करके इसे टाला जा सकता था।

निष्पादित कार्य का घटक-वार विश्लेषण आगामी अनुच्छेदों 2.12 से 2.15 में किया गया है।

16 सभी ऊर्जा मीटर ग्रामीण गृहों को नये कनेक्शन जारी किए जाने के लिए उपयोग किए गये थे।

17 33/11 केवी सब-स्टेशनों के संवर्धन के प्रकरण में 1600 प्रतिशत विचलन को छोड़कर।

कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण

2.12 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्ट्रिंग की सुविधा के लिए कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण के कार्य की परिकल्पना की गई थी। तदनुसार, डिस्कॉम्स को फीडरों के पृथक्करण की आवश्यकता को चिन्हित करना था। साथ ही, केवल 20-25 प्रतिशत के लगभग फीडर पृथक्करण को ही शामिल करने के डिस्कॉम्स के प्रस्ताव पर, आरईसी ने इस शर्त के साथ कि प्राथमिकता उन फीडरों को दी जाए जहां 30-40 प्रतिशत कृषि विद्युत भार जुड़े हुए थे, अपनी सहमति व्यक्त की (मार्च 2015)।

कुल 19,379 ग्रामीण फीडर में से, डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 2,551 फीडर का पृथक्करण, जैसा कि तालिका 2.1 में दिया गया है, प्रस्तावित किया। कुल ग्रामीण फीडर, डीपीआर में परिकल्पित फीडर पृथक्करण एवं किए गए वास्तविक पृथक्कृत फीडर का डिस्कॉम्स-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 2.4

कुल ग्रामीण फीडर, प्रस्तावित/स्वीकृत फीडर पृथक्करण एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत मार्च 2021 तक वास्तविक पृथक्कृत फीडर का विवरण

डिस्कॉम	ग्रामीण फीडरों की कुल संख्या	कुल ग्रामीण फीडर के समक्ष डीपीआर में प्रस्तावित एवं स्वीकृत फीडर पृथक्करण		पृथक्करण हेतु स्वीकृत फीडर के समक्ष वास्तव में पृथक्कृत फीडर		कुल ग्रामीण फीडरों से पृथक्कृत फीडरों की प्रतिशतता
		संख्या	%	संख्या	%	
जयपुर	4503	1351	30.00	992	73.43	22.03
अजमेर	7315	769	10.51	325	42.26	4.44
जोधपुर	7561	431	0.06	181	42.00	2.39
कुल	19379	2551	13.16	1498	58.72	7.73

स्रोत: डीपीआर एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तावित फीडर पृथक्करण कुल ग्रामीण फीडरों के 20-25 प्रतिशत की अपनी प्रारंभिक प्रतिबद्धता से अत्यधिक कम थे। साथ ही, तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व भार प्रतिशतता एवं फीडर की लंबाई के विवरण तैयार नहीं किए थे। जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने केवल 3000 से अधिक व 4000 तक की जनसंख्या वाले गांवों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु एचटी फीडर के भौतिक पृथक्करण का निर्णय किया, जबकि अजमेर डिस्कॉम्स द्वारा कोई मानदंड नहीं अपनाया गया था। साथ ही, वास्तविक रूप से किए गये फीडर पृथक्करण कार्य में, डीपीआर में परिकल्पित एवं अनुमोदित से, सारभूत रूप से कटौती की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कृषि एवं ग्रामीण फीडर के पृथक्करण का कार्य प्रारंभिक रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) योजना 2008 में आंकलित एवं शुरू किया गया था एवं XI एवं XII पंचवर्षीय योजना के दौरान फीडर सुधार कार्यक्रम पर ₹ 2,083.95 करोड़ का व्यय किया गया था। साथ ही, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ₹ 329.29 करोड़ का व्यय किया गया। तथापि, डिस्कॉम्स फीडर पृथक्करण कार्य मार्च 2021 तक पूर्ण नहीं कर सके क्योंकि डिस्कॉम्स डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल ग्रामीण फीडरों का केवल 7.73 प्रतिशत (1498 ग्रामीण फीडर) पृथक्करण ही सुनिश्चित

कर सके थे। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत फीडर पृथक्करण हेतु स्वीकृत निधियों के अतिरिक्त, डिस्कॉम्स ने तत्पश्चात फीडर पृथक्करण कार्य को पूर्ण करने हेतु ₹ 2,126.92 करोड़¹⁸ की अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन किया (नवंबर 2015) एवं तदनुसार डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त निधियाँ प्रदान किए जाने हेतु डीपीआर को आरईसी को प्रस्तुत किए।

नौ चयनित परियोजनाओं के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने डीपीआर में पृथक्करण हेतु परिकल्पित 541 फीडर के समक्ष केवल 271 फीडर (दिसम्बर 2020 तक) ही पृथक्कृत किए थे। इन पृथक्कृत किए गये फीडर में से, जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के 182 फीडर अर्थात: पृथक्कृत¹⁹ किए गये थे जबकि जयपुर डिस्कॉम्स के केवल दस फीडर ही वास्तविक रूप से कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों के रूप में पृथक्कृत किए गये थे। शेष 79 पृथक्कृत फीडर के प्रकरण में, अजमेर डिस्कॉम्स ने अर्थात: पृथक्कृत एवं वास्तविक पृथक्कृत फीडर की सूचना प्रदान नहीं की थी।

इस प्रकार, बहुत पहले वर्ष 2008 में फीडर पृथक्करण का कार्य प्रारंभ करने एवं XI व XII योजना में एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत क्रमशः ₹ 2083.95 करोड़ एवं ₹ 329.29 करोड़ व्यय करने के पश्चात भी, डिस्कॉम्स कृषि एवं गैर कृषि फीडर के पृथक्करण का कार्य पूर्ण नहीं कर सके। साथ ही, अधिकांश फीडर वास्तविक रूप से फीडर पृथक्कृत किए जाने के स्थान पर अर्थात: पृथक्कृत किए गये थे।

सरकार ने परिकल्पित फीडर पृथक्करण की अनुपलब्धि के तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि योजना के अंतर्गत अपर्याप्त निधियों के कारण इसे नहीं लिया जा सका। इसने आगे कहा कि डिस्कॉम्स ने घरेलू कनेक्शनों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। समापन सभा के दौरान, सरकार ने स्वीकार किया कि उसने प्रारंभ से ही फीडर के अर्थात: पृथक्करण का निर्णय लिया था, जिसको डिस्कॉम्स द्वारा आज तक अनुसरण किया था। तथापि, राज्य सरकार ने अब महसूस किया है कि फीडर का भौतिक पृथक्करण अतिआवश्यक है एवं इसलिए, इसे उच्च वितरण हानियों वाले फीडर/क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत सरकार की नई शुरू की गई योजना²⁰ के अंतर्गत लिया जाएगा।

इस प्रकार तथ्य यही रहा कि एचटी फीडर के भौतिक पृथक्करण का निर्णय लेने के पश्चात भी, तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी योजना के अंतर्गत परिकल्पित कृषि फीडरों को भौतिक रूप से पृथक्कृत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, फीडर को भौतिक रूप से पृथक्कृत किए जाने के योजना के दिशानिर्देशों की अनुपालना नहीं किए जाने के साथ ही फीडर के भौतिक पृथक्करण पर अनिर्णय ने, डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ग्रामीण फीडर के मात्र 7.73 प्रतिशत पृथक्करण पर अत्यधिक व्यय किया।

18 जयपुर डिस्कॉम्स- ₹ 877.87 करोड़, अजमेर डिस्कॉम्स- ₹ 789.76 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम्स- ₹ 459.87 करोड़।

19 जहाँ फीडर का भार कृषि एवं गैर कृषि भार को पृथक् किए बिना नए फीडर पर डाल दिया गया था।

20 वितरण क्षेत्र पुनर्स्थापन योजना (जून 2021)

उप-पारेषण एवं वितरण ढांचे का सुदृढीकरण एवं आवर्धन

तंत्र सुदृढीकरण

2.13 तंत्र सुदृढीकरण से संबंधित प्रकरणों का विवेचन निम्न उप-अनुच्छेदों में किया गया है।

उप-पारेषण एवं वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों की पहचान

2.13.1 वितरण तंत्र के दक्ष प्रबंधन हेतु डिस्कॉम्स को सभी प्रासंगिक मानकों²¹ एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों पर विचार करते हुए उप-पारेषण एवं वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों की पहचान की जानी थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व उप-पारेषण एवं वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया था। साथ ही, 33/11 केवी या 66/11 केवी सब-स्टेशनों के नए निर्माण एवं आवर्धन की औचित्यता हेतु भार प्रवाह अध्ययन भी नहीं किए गये थे जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि आरईसी ने डिस्कॉम्स को डीपीआर में प्रस्तावित सब-स्टेशनों के निर्माण/आवर्धन के भार प्रवाह अध्ययन प्रदान करने के लिए कहा (सितंबर 2016)। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने आज तक भार प्रवाह अध्ययन प्रदान नहीं किये थे।

सरकार ने कहा कि डिस्कॉम्स ने सब-स्टेशनों के निर्माण/आवर्धन को प्रस्तावित करते समय उनके पास उपलब्ध वास्तविक व्यावहारिक रूपरेखा आंकड़ों के उपयोग के साथ अन्य मापदंडों यथा वोल्टेज विनियमन, लागत-लाभ अनुपात एवं भार वहन करने की क्षमता की जांच की थी। इसने आगे आश्वासन दिया कि भविष्य में नई सॉफ्टवेयर आधारित तकनीकों को अपनाया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि प्रस्तावित सब-स्टेशनों की भार प्रवाह अध्ययन न तो अभिलेख में पाये गये एवं न ही आरईसी को उपलब्ध करवाए गये थे।

सब-स्टेशनों का निर्माण

2.13.2 डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 33/11 केवी के 208 सब-स्टेशन (एसएस) का निर्माण परिकल्पित किया, जैसा कि तालिका 2.1 में दिया गया है। तंत्र सुदृढीकरण के अंतर्गत डीपीआर में परिकल्पित नए एसएस (संबद्ध 66/33/11 केवी लाइनों सहित) के निर्माण एवं वास्तविक रूप से निर्मित एसएस का डिस्कॉम्स-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

21 उपभोक्ता मिश्रण, उपभोग पद्धति, वोल्टेज विनियमन, एटीएंडसी हानि स्तर, एचटी एवं एलटी अनुपात, ट्रांसफार्मर्स एवं फीडर/लाइनों का अनुकूलतम भार, प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रबंधन, विद्युत कारक सुधार, निष्पादन के मानक इत्यादि

तालिका संख्या 2.5

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रस्तावित एवं मार्च 2021 तक निर्मित सब-स्टेशनों का विवरण

डिस्कॉम का नाम	डीपीआर में प्रस्तावित एसएस की संख्या	प्रस्तावित स्थल पर बनाए गए एसएस की संख्या	प्रस्तावित स्थल पर नहीं बनाए गए एसएस की संख्या	डीपीआर में प्रस्तावित की जगह अन्य स्थल पर बनाये गए एसएस	वास्तव में निर्मित एसएस की संख्या
1	2	3	4	5	6 (3+5)
जयपुर	107	46	61	71	117
अजमेर	85	62	23	34	96
जोधपुर	16	9	7	8	17
कुल	208	117	91	113	230

स्रोत: डीपीआर एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि प्रस्तावित स्थल पर केवल 117 एसएस (56.25 प्रतिशत) का निर्माण किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रत्येक डिस्कॉम 33/11 केवी एसएस के निर्माण के नियोजन की देखरेख हेतु एक समर्पित 'योजना समूह' रखता है, तथापि, तीनों डिस्कॉम्स के योजना समूह डीपीआर में सम्मिलित किए गये प्रस्तावित एसएस के स्थलों को अंतिम रूप देने से पूर्व, तकनीकी/वित्तीय व्यवहार्यता का आंकलन करने में, भार प्रवाह अध्ययन करने में शामिल नहीं पाए गए थे। यह भी देखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए 33/11 केवी एसएस के निर्माण हेतु अध्यक्ष डिस्कॉम्स के आदेशानुसार जारी किए गये (जुलाई 2014) निर्धारित मानदंड/मानक²² की अनुपालना डीपीआर तैयार करते समय नहीं की गई थी। तत्पश्चात, योजना समूह द्वारा आंकलन के पश्चात, 91 एसएस प्रस्तावित स्थलों पर निर्माण किए जाने हेतु व्यवहार्य नहीं पाए गये थे, जिसके कारण एसएस के स्थान में परिवर्तन हुआ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जीएसएस के निर्माण में योजना समूह एवं डीडीयूजीजेवाई समूह के मध्य समन्वय के अभाव के संबंध में पायी गई अन्य कमियां निम्नानुसार थीं:

जयपुर डिस्कॉम- अलवर परियोजना में, ठेकेदार (मैसर्स इंडिया कमर्शियल सर्विसेज, जयपुर) ने नौ²³ एसएस, इस तथ्य के उपरांत भी कि एसई योजना ने उस समय तक केवल तीन²⁴ एसएस हेतु अपनी स्वीकृति दी थी, का निर्माण प्रारंभ कर दिया (नवंबर 2017)। साथ ही जयपुर परियोजना में, प्रारंभिक रूप से परियोजना डीपीआर में सम्मिलित पांच²⁵ एसएस का निर्माण बाद में हटा दिया गया था क्योंकि इन एसएस का निर्माण केंद्रीय श्रम दर संविदा (सीएलआरसी) के अंतर्गत पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था (सितंबर 2016 एवं जुलाई 2017 के मध्य) एवं कार्य पूर्ण होने के करीब था।

22 उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, विद्यमान एसएस से दूरी, सीएमआरआई भार सर्वेक्षण, लाभ-लागत अनुपात (12 प्रतिशत) इत्यादि

23 बस्सी जोगियां, घाट, डोली, बड़ौदा स्नान, सीताराम नगला, रोमिजा थान, श्री चांदपुरा (भूमि विवाद के कारण योजना के अंतर्गत निर्मित नहीं), तहला, पालपुरा।

24 बस्सी जोगियां, घाट, डोली

25 टांडा एवं सुमेल (एपीपी 2017-18 में) घासीपुरा, सुराणा टोडी एवं रीको शाहपुरा (एपीपी 2018-19 में)

अजमेर डिस्कॉम- योजना के अंतर्गत निर्मित 21 एसएस के प्रकरण में लाभ-लागत अनुपात 12 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से कम पाया गया था एवं 8 प्रतिशत से 11.78 प्रतिशत के मध्य सीमा में था।

साथ ही, सब-स्टेशनों के स्थल में बाद में किए गये बदलाव के संबंध में जिला विद्युत समिति एवं एसएलएससी का विशिष्ट अनुमोदन अभिलेख में नहीं पाया गया था जिसने यह इंगित किया कि स्थलों में बदलाव संबंधी प्रकरण इन समितियों के समक्ष नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त तीनों डिस्कॉम्स की चयनित परियोजनाओं में, 46 एसएस²⁶ में से, 17 एसएस²⁷ संबंधित डीपीआर में प्रस्तावित स्थलों पर निर्मित नहीं किए गये थे, जिसके लिए अभिलेखों में कोई औचित्य नहीं पाया गया था।

इस प्रकार, निर्धारित मानदंडों की अनुपालना नहीं करने के साथ-साथ डीपीआर तैयार करते समय योजना समूह की सहभागिता नहीं होने, डिस्कॉम्स के विभिन्न समूहों के मध्य समन्वय के अभाव की परिणति डीपीआर में अलाभकारी एसएस को शामिल किए जाने के रूप में हुई जिसके कारण 91 एसएस (कुल परिकल्पित एसएस का 43.75 प्रतिशत) के स्थान में परिवर्तन हुआ।

सरकार ने डीपीआर तैयार करते समय डिस्कॉम्स के योजना समूहों की सहभागिता नहीं होने के तथ्यों को स्वीकार किया। इसने आगे कहा कि स्थानों में परिवर्तन भूमि की अनुपलब्धता, स्थान की स्वीकार्यता के साथ-साथ परियोजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन में समय अंतराल के कारण था। यह कहा गया था कि सब-स्टेशनों का निर्माण करते समय तकनीकी रूपरेखा मापदंडों की अनुपालना की गई थी। सरकार ने यह भी कहा कि स्थानों में परिवर्तन के लिए एसएलएससी अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा एवं परियोजनाओं के समापन करने के समय आरईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि उल्लिखित बाधाओं को एसएलएससी/डीईसी की नियमित बैठकों में मुद्दों से अवगत कराकर समाधान किया जा सकता था, जो नहीं किया गया था।

ट्रांसफार्मर क्षमता

2.13.3 वितरण ट्रांसफॉर्मर्स (डीटी) की विफलता दर का आंकलन करने हेतु, डिस्कॉम्स समन्वय संगोष्ठी (डीसीएफ) ने एकल फेज डीटी से कनेक्शन जारी करने हेतु मानदंड तय किए (जुलाई 2009)। तत्पश्चात डिस्कॉम्स ने मानदंडों में संशोधन किया (फरवरी 2017) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने हेतु 'विविधता अनुपात' 1:1 निर्धारित किया। यह मानदंड विभिन्न योजनाओं (डीडीयूजीजेवाई सहित) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन जारी किए जाने हेतु भी लागू था। निर्धारित विविधता अनुपात के अनुसार, डिस्कॉम्स को ट्रांसफार्मर की एक केवीए क्षमता के समक्ष एक कनेक्शन जारी किया जाना था। तदनुसार, डिस्कॉम्स को एक से पाँच उपभोक्ताओं, छः से 10 उपभोक्ताओं एवं 11 से 16 उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी किए जाने हेतु क्रमशः 5 केवीए, 10 केवीए एवं 16 केवीए के डीटी स्थापित करने थे।

डिस्कॉम्स ने 39,084 डीटी स्थापित किया जाना परिकल्पित किया जिसके समक्ष मार्च 2021 तक 75,093 डीटी स्थापित किए गये थे, जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है।

26 जयपुर डिस्कॉम-19 एसएस, अजमेर डिस्कॉम-23 एसएस एवं जोधपुर डिस्कॉम- 4 एसएस।

27 जयपुर डिस्कॉम-12 एसएस, अजमेर डिस्कॉम-3 एसएस एवं जोधपुर डिस्कॉम- 2 एसएस।

ट्रांसफार्मर क्षमता हेतु निर्धारित मानदंडों के आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रत्येक स्थापित ट्रांसफार्मर से जारी किए गए कनेक्शनों का विवरण मांगा (अगस्त 2020)। तथापि, तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी जनवरी 2021 तक अपेक्षित विवरण प्रदान नहीं कर सका। तथापि डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अगस्त 2020²⁸ तक सृजित अवसंरचना की ग्राम-वार सूचना, जो कि आरईसी गुणवत्ता अनुवीक्षक (आरक्यूएम) द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई थी, प्रदान की। इसके पश्चात, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सृजित अवसंरचना की ग्राम-वार सूचना को अद्यतन किया जाना नहीं पाया गया था।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अगस्त 2020 तक सृजित अवसंरचना की ग्राम-वार सूचना ने 56,568 डीटी²⁹ स्थापित किया जाना दर्शाया। इन नये स्थापित डीटी के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने योजना के कार्यान्वयन में मानदंडों की अनुपालना नहीं की थी एवं अधिक क्षमता³⁰/कम क्षमता³¹ वाले ट्रांसफार्मर्स स्थापित किए जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

तालिका संख्या 2.6

31 अगस्त 2020 तक डिस्कॉम्स-वार स्थापित ट्रांसफार्मर का विवरण

डिस्कॉम	ट्रांसफार्मर क्षमता						कुल
	क्षमता पर		कम क्षमता		अधिक क्षमता		
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	
जयपुर	881	5.33	628	3.80	15007	90.87	16516
अजमेर	5536	64.47	448	5.22	2603	30.31	8587
जोधपुर	21744	69.11	2395	7.61	7326	23.28	31465
कुल	28161	49.78	3471	6.14	24936	44.08	56568

स्रोत: डीडीयूजीजेवाई की प्रगति प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

जयपुर डिस्कॉम ने डीपीआर तैयार करते समय एक गांव में अविद्युतीकृत ग्रामीण गृहों (आरएचएच) की संख्या पर ध्यान दिए बिना आरएचएच को कनेक्शन जारी किए जाने हेतु केवल 16 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर्स प्रस्तावित किए। तदनुसार, एमसी द्वारा डीपीआर अनुमोदित की गई थी।

अजमेर डिस्कॉम ने बांसवाड़ा की परियोजना डीपीआर में केवल तीन 10 केवीए ट्रांसफार्मर्स का प्रावधान रखा जबकि डिस्कॉम्स की अन्य परियोजनाओं में सभी क्षमता (5 केवीए, 10 केवीए, 16

28 जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम (जून 2020) एवं अजमेर डिस्कॉम (अगस्त 2020)।

29 5 केवीए के 16,700 डीटी, 10 केवीए के 16,925 डीटी, 16 केवीए के 22,879 डीटी एवं 25 केवीए के 64 डीटी।

30 अधिक क्षमता ट्रांसफार्मर: जहाँ स्थापित ट्रांसफार्मर के स्थान पर एक कम क्षमता वाला ट्रांसफार्मर कनेक्शनो की अपेक्षित संख्या जारी किए जाने हेतु पर्याप्त होता।

31 कम क्षमता ट्रांसफार्मर: जहाँ जारी किए गये कनेक्शनों की संख्या ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता से अधिक थी।

केवीए एवं 25 केवीए) का प्रावधान रखा था। साथ ही, इसने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्रापण एवं स्थापित किए गए ट्रांसफार्मर्स का श्रेणी-वार विवरण प्रदान नहीं किया था।

जोधपुर डिस्कॉम ने प्रत्येक क्षमता (5 केवीए, 10 केवीए एवं 16 केवीए) के ट्रांसफार्मर हेतु प्रावधान किया। तथापि, इसने आवश्यक क्षमता के अनुसार ट्रांसफार्मर्स की स्थापना सुनिश्चित नहीं थी। सतर्कता के अभाव के कारण ठेकेदारों द्वारा विविधता अनुपात के जो आवश्यक था, के स्थान पर अधिक क्षमता एवं कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर्स स्थापित किए गये थे। एक चयनित परियोजना (पाली) में, लेखापरीक्षा ने देखा कि सक्षम प्राधिकारी ने ठेकेदार को 5 केवीए ट्रांसफार्मर्स की अनुपलब्धता के कारण 10 केवीए ट्रांसफार्मर्स स्थापित करने की अनुमति दी थी। तदनुसार, ठेकेदार ने केवल एक से चार के मध्य कनेक्शन जारी करने हेतु 10 केवीए के 739 डीटी स्थापित किए।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि संविदा करार में प्रावधान के अभाव/कम क्षमता वाले डीटी की अनुपलब्धता के कारण उच्च क्षमता वाले डीटी की अनुमति दी गई थी।

तथ्य यह रहा कि अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर्स की स्थापना की परिणीति अधिक व्यय एवं अन्य गतिविधियों हेतु संसाधनों से वंचित होने के रूप में हुई, जैसा कि **अनुच्छेद 2.13.4** में चर्चा की गई है।

अतिशय ट्रांसफार्मर क्षमता पर ₹ 53.15 करोड़ का अधिक व्यय

2.13.4 डीसीएफ द्वारा निर्धारित विविधता अनुपात (1:1) के अनुसरण में डिस्कॉम्स द्वारा जारी किए जाने वाले कनेक्शनों की संख्या को देखते हुए डीटी स्थापित किये जाने थे। चूंकि डिस्कॉम्स ने डीटी-वार जारी किए गये कनेक्शनों का विवरण संधारित नहीं किया था, डीसीएफ द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 10 केवीए डीटी (6,301 डीटी) एवं 16 केवीए (18,571) डीटी की स्थापना की पर्याप्तता के आंकलन हेतु डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सृजित अवसंरचना की ग्राम-वार सूचना का आगे विश्लेषण किया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने संबंधित मानदंडों के अंतर्गत निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता के डीटी स्थापित किये थे, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2.7

निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता वाले डीटी का उपयोग

डिस्कॉम	10 केवीए डीटी की संख्या	16 केवीए डीटी की संख्या			सकल योग
	1 से 5 उपभोक्ता कनेक्शनों को जारी किए जाने में उपयोग	1 से 5 उपभोक्ता कनेक्शनों को जारी किए जाने में उपयोग	6 से 10 उपभोक्ता कनेक्शनों को जारी किए जाने में उपयोग	योग	
जयपुर	0	11722	3285	15007	15007
अजमेर	1027	74	1438	1512	2539
जोधपुर	5274	1064	988	2052	7326
योग	6301	12860	5711	18571	24872

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने निर्धारित मानदंडों के अनुसार डीटी की स्थापना का ध्यान नहीं रखा था क्योंकि 10 केवीए डीटी (37.23 प्रतिशत) एवं 16 केवीए डीटी (81.17 प्रतिशत) के प्रमुख भाग वहाँ स्थापित किए गये थे, जहां कम क्षमता वाले डीटी की स्थापना उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन जारी करने की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त होती। यह मुख्यतया 5 केवीए एवं 10 केवीए डीटी की आवश्यकता को डीपीआर³² में सम्मिलित नहीं करने के कारण था। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रकरण थे जहां अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने डीपीआर में 5-10 केवीए डीटी के प्रावधान होने के पश्चात भी, निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक क्षमता से अधिक क्षमता वाले डीटी स्थापित किए।

परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स ने आवश्यक क्षमता से अधिक के डीटी की स्थापना पर ₹ 53.15 करोड़³³ का अधिक व्यय किया। चूंकि अजमेर डिस्कॉम द्वारा वास्तव में स्थापित डीटी के अद्यतन आंकड़े अभी तक प्राप्त होने हैं, वास्तविक अतिरिक्त व्यय की मात्रा और अधिक होगी। गैर-अनुपालना का प्रभाव और भी अधिक एवं कई गुना था, क्योंकि जयपुर डिस्कॉम्स ने आरईसी के साथ पत्र व्यवहार के समय (जुलाई 2017 एवं दिसंबर 2017) स्वयं एहसास किया कि उच्च क्षमता वाले डीटी की स्थापना न केवल उसके वित्तीय भार व तकनीकी हानियों में वृद्धि करेगा अपितु यह विद्युत के दुरुपयोग/चोरी के लिए अवसर भी देगा।

सरकार ने कहा कि डिस्कॉम्स की सामान्य विशिष्टता समिति ने आरजीजीवीवाई XII योजना के अनुरूप डीटी का उपयोग करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2015) एवं इसलिए, जयपुर डिस्कॉम की सीएलपीसी ने परियोजनाओं को प्रदान किए जाने हेतु मात्र 16 केवीए डीटी पर ही विचार किया (नवंबर 2015)। इसने आगे कहा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम के पास जारी किए गये कनेक्शनों के डीटी वार विवरण उपलब्ध नहीं थे एवं शीघ्र ही विस्तृत आंकड़े प्रदान करने का आश्वासन दिया।

उत्तर युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स ने डीटी के उपापन हेतु असंगत दृष्टिकोण अपनाया। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम ने विलंब से कम क्षमता वाले डीटी (5 केवीए/10 केवीए) की आवश्यकता को स्वीकार किया एवं 16 केवीए डीटी को कम क्षमता वाले डीटी के साथ बदलने की अनुमति के लिए आरईसी से संपर्क किया, जिसकी आरईसी द्वारा अनुमति नहीं दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, कनेक्शन की डीटी वार विस्तृत सूचना प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2021)।

स्थापित ट्रांसफार्मरों का निष्पादन

2.13.5 'विविधता अनुपात' के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एक केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर के समक्ष एक कनेक्शन ही जारी किया जाना था। तथापि, डिस्कॉम्स ने निर्देश की अनुपालना नहीं की थी एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक कनेक्शन जारी किए। जैसा कि ऊपर **तालिका-2.6** से स्पष्ट है, डिस्कॉम्स ने 3471 ट्रांसफार्मर कम क्षमता के स्थापित किए, अर्थात् जारी किए गए कनेक्शनों

32 समस्त 12 डीपीआर जयपुर डिस्कॉम की थी एवं एक डीपीआर (बांसवाड़ा) अजमेर डिस्कॉम से संबंधित थी, जिसमें क्रमशः 5-10 केवीए डीटी एवं 10 केवीए डीटी स्थापित करने का प्रावधान नहीं था।

33 डिस्कॉम वार अधिक व्यय की गणना ₹ 36.51 करोड़ (जयपुर डिस्कॉम), ₹ 3.71 करोड़ (अजमेर डिस्कॉम) एवं ₹ 12.93 करोड़ (जोधपुर डिस्कॉम) थी, जिसकी गणना डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के अंतर्गत टर्नकी संविदाएं प्रदान करने के समानांतर डीटी हेतु निर्णीत (मार्च-अप्रैल 2017) भंडार निर्गम दरों के आधार पर की गई थी।

की संख्या ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक थी एवं इसलिए ट्रांसफार्मर पर इसकी स्थापना के प्रथम दिवस से अत्यधिक बोझ हो गया था एवं इसके जलने के जोखिम अधिक था।

चयनित परियोजनाओं में स्थापित किए गये ट्रांसफार्मर्स के निष्पादन का आंकलन करने हेतु, लेखापरीक्षा ने स्थापित ट्रांसफार्मर्स एवं जले हुए ट्रांसफार्मर्स के आंकड़े प्राप्त किये जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका संख्या 2.8

चयनित परियोजनाओं में स्थापित एवं जले हुए ट्रांसफार्मर्स का विवरण

डिस्कॉम	चयनित परियोजना	स्थापित ट्रांसफार्मर्स की संख्या	जले हुए ट्रांसफार्मर्स की संख्या	जले हुए ट्रांसफार्मर्स का प्रतिशत
जयपुर	टोंक	1316	440	33.43
	बूंदी	743	58	7.81
	भरतपुर	1374	96	6.99
अजमेर	अजमेर	438	12	2.74
	सीकर	2188	176	8.04
	बांसवाड़ा	4836	182	3.76
जोधपुर	बाड़मेर	16318	937	5.74
	पाली	1174	291	24.79
	जालौर	3257	131	4.02
योग		31664	2323	7.33

स्रोत: चयनित परियोजनाओं से प्राप्त सूचना।

यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2020-21 तक चार वर्षों की अवधि के दौरान अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर एवं जालौर के अलावा सभी चयनित परियोजनाओं में स्थापित ट्रांसफार्मर्स की विफलता दर एमओपी द्वारा निर्धारित ट्रांसफार्मर्स की स्वीकार्य विफलता दर (यथा 1.50 प्रतिशत प्रति वर्ष) की तुलना में असामान्य रूप से उच्च थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि टोंक परियोजना के मामले में, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर्स स्थापित किए जाने संबंधी प्रकरण, जिसके कारण ट्रांसफार्मल जल सकता है, अधिशायी अभियंता को कई बार प्रतिवेदित किए गया था, तथापि, इस मामले में कोई कार्यवाही अभिलेखों पर नहीं पायी गई थी। यद्यपि जले हुए ट्रांसफार्मर्स को संबंधित ठेकेदारों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था क्योंकि ये वारंटी के अधीन थे लेकिन ग्रामीणों को जले हुए ट्रांसफार्मर्स के प्रतिस्थापन में लगने वाले समय तक विद्युत के व्यवधान को सहन करना पड़ा।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया।

तंत्र सुदृढीकरण के भाग पर नए फीडरों का निर्माण

2.13.6 साधारणतया एक प्राथमिक वितरण लाइन या फीडर को, फीडर की लंबाई के आधार पर 1-4 एमवीए का भार वहन करने के लिए रूपरेखित किया जाता है, इसलिए 11 केवी पर द्वितीय सब-स्टेशन से निकलने वाले फीडरों की संख्या 3 या अधिक है। साथ ही, आरईसी ने योजना के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाले एसएस के आरेख एवं रूपरेखा प्रदान किए थे। तदनुसार, नव निर्मित 230 एसएस पर, तीनों डिस्कॉम्स द्वारा 918 की संख्या³⁴ में नए फीडर निर्मित किए

34 जयपुर डिस्कॉम-452 फीडर, अजमेर डिस्कॉम-424 फीडर एवं जोधपुर डिस्कॉम- 42 फीडर

गये थे। चयनित परियोजनाओं में नवनिर्मित 182 फीडर³⁵ के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स ने कृषि एवं गैर-कृषि भार हेतु पृथक फीडर बनाए जाने के स्थान पर इन फीडरों पर मिश्रित भार रखा। इस प्रकार डिस्कॉम्स के अविवेकपूर्ण नियोजन ने योजना के मूल उद्देश्य अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्ट्रिंग की सुविधा प्रदान करने को विफल कर दिया था। इसके अतिरिक्त, चयनित परियोजनाओं में इन फीडर (11केवी लाइन) के निर्माण पर ₹12.55 करोड़³⁶ व्यय करने के उपरांत भी डिस्कॉम्स को भविष्य में ऐसे फीडर के पृथक्करण पर और व्यय करना होगा।

सरकार ने कहा कि निधियों की कमी के कारण जयपुर डिस्कॉम्स ने 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 3000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सीधे विद्युत आपूर्ति करने के लिए फीडर बनाए जाने का निर्णय किया। इसने आगे कहा कि अजमेर डिस्कॉम्स ने पृथक कृषि फीडर संबंधी प्रभावी नियोजन की कोशिश की। तथापि, राज्य के कुछ हिस्सों में, आवास ढाँचा फीडर पृथक्करण के लिए सहायक नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि किसी भी चयनित परियोजना (बाड़मेर के अलावा) में छितराये हुए आवास नहीं थे। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्ट्रिंग के लिए कृषि फीडर एवं गैर-कृषि फीडर भौतिक पृथक्करण कर निर्माण किए जा सकते थे।

नए मीटर स्थापित करना/दोषपूर्ण मीटरों प्रतिस्थापन

2.13.7 डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, डिस्कॉम्स को वितरण ट्रांसफार्मर्स, फीडर एवं उपभोक्ता के छोर पर मीटरिंग परिकल्पित किया जाना आवश्यक था। तथापि, डिस्कॉम्स ने कनेक्शन जारी करने/दोषपूर्ण मीटर के प्रतिस्थापन हेतु 9,61,827 उपभोक्ता ऊर्जा मीटरों एवं 8,562 फीडर मीटर (3,626 दोषपूर्ण फीडर मीटर सहित) की आवश्यकता परिकल्पित की, जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है। साथ ही, डिस्कॉम्स ने डीटी पर मीटर की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं रखा था।

मीटरों को वितरण ट्रांसफार्मर्स, फीडर एवं उपभोक्ता छोर पर स्थापित किए जाने संबंधी अभिलेखों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- **वितरण ट्रांसफार्मर्स पर मीटरिंग:** चूंकि तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी वितरण ट्रांसफार्मर्स पर मीटर लगाने का प्रावधान नहीं किया था, डिस्कॉम्स ने 75,093 डीटी पर मीटर स्थापित नहीं किये थे।
- **उपभोक्ता के छोर पर मीटरिंग:** डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कनेक्शन जारी करते समय तीनों डिस्कॉम्स ने उपभोक्ता छोर पर 5,89,838 मीटर स्थापित किए गये थे।
- **दोषपूर्ण उपभोक्ता मीटरों का प्रतिस्थापन:** जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत एक भी दोषपूर्ण मीटर को, इस तथ्य के उपरांत भी कि दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 97.10 करोड़³⁷ स्वीकृत किए गए थे, प्रतिस्थापित नहीं किया था। साथ ही, 2,08,110 दोषपूर्ण मीटर होने के बावजूद, जोधपुर

35 जयपुर डिस्कॉम्स-73 फीडर, अजमेर डिस्कॉम्स-106 फीडर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स- 3 फीडर

36 जयपुर डिस्कॉम्स-₹ 4.37 करोड़, अजमेर डिस्कॉम्स- ₹ 7.77 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम्स- ₹ 0.41 करोड़

37 जयपुर डिस्कॉम्स-₹ 32.43 करोड़, अजमेर डिस्कॉम्स-₹ 64.67 करोड़

डिस्कॉम ने ऐसे मीटरों के प्रतिस्थापन किए जाने हेतु डीपीआर में कोई प्रावधान नहीं किए थे।

- **फीडर पर मीटरिंग:** योजना के अन्तर्गत निधि स्वीकृत किए जाने के उपरांत भी 3,626 दोषपूर्ण फीडर मीटरों³⁸ को प्रतिस्थापित नहीं किया गया था।

आपूर्ति के नियम एवं शर्तों (टीसीओएस) के अनुसार, दोषपूर्ण मीटरों को इसकी पहचान के दो माह के भीतर प्रतिस्थापित करना आवश्यक था एवं यदि इन्हे निर्धारित अवधि में प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, तो इसका पता लगने के पश्चात मीटर प्रतिस्थापित होने तक मासिक/पाक्षिक बिलिंग के प्रकरण में, कुल बिल पर पांच प्रतिशत की छूट तृतीय मासिक बिल से एवं द्विमासिक बिलिंग के प्रकरण में, द्वितीय बिल से अनुमत की जानी है।

तीनों डिस्कॉम्स की चयनित परियोजनाओं में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2020 को 2,81,580 मीटर, दोष का पता लगने के पश्चात, दो माह से अधिक की अवधि के लिए दोषपूर्ण पड़े हुये थे। तथापि, यह प्रतिस्थापित नहीं किए गये थे एवं इसलिए ओएंडएम वृत्त कार्यालयों को बिल राशि के पांच प्रतिशत की छूट पारित करनी पड़ी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स को निर्धारित समयावधि के भीतर दोषपूर्ण मीटरों को प्रतिस्थापित नहीं किए जाने के पेटे 2016-20 के दौरान ₹ 50.37 करोड़ की छूट पारित करनी पड़ी थी।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स डीटी पर मीटरों की स्थापित किए जाने एवं दोषपूर्ण फीडर मीटरों के साथ-साथ उपभोक्ता मीटरों के प्रतिस्थापन के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, वितरण ट्रांसफार्मर्स पर मीटर व्यवस्था के अभाव में एवं दोषपूर्ण फीडर मीटर के प्रतिस्थापन नहीं किए जाने से, डिस्कॉम्स पर्याप्त ऊर्जा लेखांकन हेतु एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित किए जाने में विफल रहे थे। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स उच्च हानि क्षेत्रों की पहचान करने एवं चोरी इत्यादि के कारण होने वाली हानियों में कमी हेतु उपचारी उपाय सुनिश्चित करने में भी विफल रहे थे।

सरकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संकेंद्रित भार के अभाव के कारण डीटी मीटरिंग के साथ-साथ दोषपूर्ण घरेलू एवं फीडर मीटरों के प्रतिस्थापन पर डीडीयूजीजेवाई के कार्यक्षेत्र में विचार नहीं किया गया था एवं डिस्कॉम्स ने नियमित आधार पर दोषपूर्ण मीटरों को प्रतिस्थापित किया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि योजना में दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापित किया जाना परिकल्पित था एवं एमओपी ने भी इस मद में निधियां स्वीकृत की थी। इस प्रकार, डिस्कॉम्स वितरण प्रणाली के सभी स्तरों पर ऊर्जा के निर्बाध लेखांकन एवं लेखापरीक्षा को सुनिश्चित करने में विफल रहे।

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण विद्युतीकरण में गांवों के विद्युतीकरण के साथ-साथ घरों का विद्युतीकरण सम्मिलित है एवं इसलिए सभी अ-विद्युतीकृत गांवों व घरों तक विद्युत पहुँच उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का विकास सम्मिलित है। गांवों एवं घरों के विद्युतीकरण की स्थिति पर चर्चा नीचे अनुच्छेद 2.14 एवं 2.15 में की गई है।

38 जयपुर डिस्कॉम-1525, अजमेर डिस्कॉम-964 एवं जोधपुर डिस्कॉम-1137

ग्रामीण विद्युतीकरण

2.14 अक्टूबर 1997 से पूर्व, एक गाँव को विद्युतीकृत के रूप में वर्गीकृत किया जाता था यदि इसके राजस्व क्षेत्र में किसी भी उद्देश्य के लिए विद्युत का उपयोग किया जा रहा हो। अक्टूबर 1997 के पश्चात, एक गाँव को विद्युतीकृत माना जाता था, यदि गाँव की राजस्व सीमा के भीतर आवासित इलाके में किसी भी उद्देश्य के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता हो। इसके पश्चात, एमओपी के कार्यालय ज्ञापन (फरवरी 2004) एवं ग्रामीण विद्युतीकरण नीति (अगस्त 2006) ने निर्दिष्ट किया कि एक गाँव को विद्युतीकृत घोषित किया जाएगा, यदि (1) मूल अवसंरचना जैसे वितरण ट्रांसफार्मर एवं वितरण लाइनें आवासित इलाके के साथ-साथ न्यूनतम एक दलित बस्ती गाँव, जहाँ यह अस्तित्व में है; में प्रदान की गई हो (2) सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों एवं सामुदायिक केंद्रों इत्यादि को विद्युत प्रदान की गई हो एवं (3) विद्युतीकृत गृहों की संख्या गाँव में कुल गृहों की संख्या का कम से कम 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

(i) मार्च 2015 तक डिस्कॉम-वार गाँवों की कुल संख्या, विद्युतीकृत गाँवों, डीडीयूजीजेवाई से पूर्व विद्युतीकृत किए जाने वाले गाँव एवं विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत अविद्युतीकृत गाँवों (यूईवी) की संख्या का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 2.9

डिस्कॉम-वार गाँवों की कुल संख्या, विद्युतीकृत गाँवों एवं अविद्युतीकृत गाँवों का विवरण

डिस्कॉम	2011 की जनगणना के अनुसार कुल गाँव	मार्च 2015 तक विद्युतीकृत गाँव	डीडीयूजीजेवाई से पूर्व विद्युतीकृत किए जाने वाले गाँव	आरजीजीवीवाई 12वीं योजना के अंतर्गत स्वीकृत यूईवी की संख्या	आरआरईसीएल द्वारा विद्युतीकृत किए जाने वाले यूईवी की संख्या	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्वीकृत यूईवी की संख्या
जयपुर	15145	14710	435	4	77	9
अजमेर	15379	15043	336	41	23	80
जोधपुर	14148	13780	368	194	52	15
कुल	44672	43533	1139	239	152	104

स्रोत: जनगणना आंकड़े, प्रगति प्रतिवेदन एवं डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई सूचना

डिस्कॉम के प्रगति प्रतिवेदनों (31 मार्च 2015) के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई से पूर्व 1,139 गाँव विद्युतीकृत होने से शेष रहे थे। तथापि, आरईसी को उपलब्ध करवाए गये आंकड़े (अक्टूबर 2015) के अनुसार, राजस्थान में 495 यूईवी थे, जिनमें से 239 यूईवी का विद्युतीकरण पूर्व में ही 12वीं योजना (प्रथम चरण) के अंतर्गत स्वीकृत हुआ था जबकि 152 यूईवी आरआरईसीएल द्वारा विद्युतीकृत किए जाने थे। शेष रहे 104 यूईवी डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्वीकृत हुए थे।


लेखापरीक्षा ने देखा कि यूईवी के आंकड़ों में अंतर होने के कारण, शेष रहे 748 यूईवी (1139-239-152) के समक्ष, तीनों डिस्कॉम ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत मात्र 104 यूईवी के विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किए। साथ ही, 31 मार्च 2020 को तीन डिस्कॉम के 709 गाँव³⁹ विद्युतीकरण हेतु लंबित थे। यूईवी के आंकड़ों का गलत मिलान एवं सभी लंबित यूईवी को सम्मिलित नहीं किए जाने ने दर्शाया कि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत डिस्कॉम द्वारा प्रस्तावित

39 जयपुर डिस्कॉम-371 यूईवी, अजमेर डिस्कॉम-107 यूईवी एवं जोधपुर डिस्कॉम-231 यूईवी।

गांव विद्युतीकरण पर्याप्त सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से समर्थित नहीं था। इस प्रकार, गांव विद्युतीकरण का नियोजन दोषपूर्ण था।

(ii) जैसा कि तालिका 2.9 में दर्शाया गया है, डिस्कॉम्स ने डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत डीपीआर में 104 यूईवी का विद्युतीकरण परिकल्पित किया। अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि कुल 104 यूईवी में से, 12 यूईवी (अजमेर-4 एवं जोधपुर-8) पहले से ही विद्युतीकृत थे जबकि 79 यूईवी (जयपुर-9, अजमेर-65 एवं जोधपुर-5) डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संविदाएं प्रदान किए जाने से पूर्व ही सीएलआरसी के तहत विद्युतीकृत करवाए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त, 13 यूईवी (जोधपुर-2 एवं अजमेर-11) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के माध्यम से विद्युतीकृत करवाए जा चुके थे। इस प्रकार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु परिकल्पित सभी 104 यूईवी पूर्व में ही विद्युतीकृत/अन्य माध्यमों से विद्युतीकृत थे जिससे यह इंगित हुआ कि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विचार किया गया यूईवी का विद्युतीकरण वास्तविक नहीं था।

डिस्कॉम्स के 2015-20 की अवधि हेतु वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों में भी यह दर्शाया गया कि डीडीयूजीजेवाई के प्रारंभ होने के पश्चात केवल एक यूईवी (अजमेर डिस्कॉम) का विद्युतीकरण (2017-18) हुआ जैसा कि नीचे दिए गये चार्ट में दर्शाया गया है:



स्रोत: डिस्कॉम्स के प्रगति प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि डिस्कॉम्स ने यूईवी को गलत तरीके से विद्युतीकृत घोषित किया क्योंकि नई परिभाषा के अंतर्गत निर्धारित मापदंड पूर्ण रूप से संपन्न नहीं किए गये थे, जैसा कि अनुच्छेद 2.15.4 में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि नौ चयनित जिलों/परियोजनाओं से संबद्ध 3,093 सरकारी विद्यालयों को विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए थे। इसलिए, नई परिभाषा के अनुसार, इन यूईवी (डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत शामिल एवं विद्युतीकृत घोषित 104 यूईवी सहित) को विद्युतीकृत नहीं माना जाना चाहिए।

सरकार ने कहा कि 709 गांव, आबादी रहित गांव होने के कारण, विद्युतीकृत किए जाने हेतु विचार नहीं किए गये थे। इसने आगे कहा कि डिस्कॉम्स ने सभी यूईवी में सार्वजनिक स्थानों तक आवश्यक ढांचा निर्मित किया था परन्तु यह संस्थान विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आगे नहीं आए थे।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि सार्वजनिक स्थानों के विद्युतीकरण के बिना गाँव को विद्युतीकृत घोषित करना गलत था। साथ ही, ऊर्जा विभाग को, योजना को कार्यान्वित करने वाला नोडल विभाग होने के कारण, यूईवी को विद्युतीकृत घोषित करने से पूर्व अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से विद्युतीकरण के मानदंडों को पूर्ण करना आवश्यक था।

गृहों का विद्युतीकरण

2.15 भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने सभी घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक उपभोक्ताओं को 24 X 7 गुणवत्ता, विश्वसनीय एवं किफायती विद्युत की आपूर्ति एवं एक निश्चित समय-सीमा में कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति के उद्देश्य से 'पावर फॉर ऑल' कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एक संयुक्त विवरण-पत्र जारी किया (13 दिसंबर 2014)। साथ ही, सभी असंबद्ध गृहों (डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परिकल्पित ग्रामीण गृहों सहित) को मार्च 2019 तक चरणबद्ध तरीके से विद्युत उपलब्ध करवायी जानी थी।

कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, डिस्कॉम्स ने एपीएल गृहों को 15 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2018 तक कनेक्शन जारी करने के निर्देश जारी किए (फरवरी 2018) जिन्होंने क्रमशः 22 फरवरी 2018 तक एवं 22 फरवरी 2018 के पश्चात मांग पत्र जमा करवा दिये थे। साथ ही, आरजीजीवीवाई (डीडीयूजीजेवाई में समाहित) एवं निष्पादित त्रिपक्षीय करार के उद्देश्यों के अनुसार, बीपीएल को कनेक्शन मुफ्त प्रदान किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स ने 20.58 लाख ग्रामीण घरों (12वीं योजना के अंतर्गत 13.36 लाख एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 7.22 लाख) को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाना परिकल्पित किया, जिसमें से 15.20 लाख विद्युत कनेक्शन (12 वीं योजना के अंतर्गत 9.35 लाख एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 5.89 लाख) मार्च 2021 तक प्रदान किए गए थे।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी कनेक्शन

2.15.1 मार्च 2021 तक अविद्युतीकृत आरएचएच (बीपीएल एवं एपीएल दोनों) को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी किए गए कनेक्शनों का वर्ष-वार का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 2.10

अविद्युतीकृत बीपीएल एवं एपीएल आरएचएच को 31 मार्च 2021 तक जारी किए गए कनेक्शनों का डिस्कॉम-वार विवरण

डिस्कॉम	डीपीआर के अनुसार अविद्युतीकृत आरएचएचस/ विद्युतीकरण लक्ष्य		सितंबर 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य जारी किए गए कनेक्शन		मार्च 2019 तक जारी किए गए कनेक्शन		मार्च 2020 तक जारी किए गए कनेक्शन		मार्च 2021 तक जारी किए गए कनेक्शन	
	बीपीएल	एपीएल	बीपीएल	एपीएल	बीपीएल	एपीएल	बीपीएल	एपीएल	बीपीएल	एपीएल
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
जयपुर	24794	128094	11943	49317	18944	98280	22066	116018	22066	116018
अजमेर	111711	102173	19038	16913	103649	86256	123218	86256	131153	86256
जोधपुर	97705	257883	6270	39128	42174	161332	45910	170168	47087	187258
योग	234210	488150	37251	105358	164767	345868	191194	372442	200306	389532
	722360		142609		510635		563636		589838	

स्रोत: डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई डीपीआरस एवं सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कनेक्शन जारी करने में तीव्रता लाने एवं मार्च 2018 तक सभी तक विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, डिस्कॉम्स ने कनेक्शन जारी करने के लिए आवश्यक सामग्री को केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (सीटीएल) में परीक्षण किए जाने की शर्त में शिथिलता दी। तथापि, सभी तीनों डिस्कॉम्स मार्च 2018 तक अविद्युतीकृत गृहों में विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे एवं मार्च 2018 तक केवल 19.74 प्रतिशत कनेक्शन (7,22,360 लक्षित कनेक्शन के समक्ष 1,42,609 कनेक्शन) ही जारी किए गए थे। मार्च 2021 तक, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत लक्षित अविद्युतीकृत ग्रामीण गृहों (7,22,360) में से केवल 81.65 प्रतिशत (5,89,838) को ही कनेक्शन प्रदान किया जा सका।

साथ ही, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, डिस्कॉम्स बीपीएल ग्रामीण गृहों को लागत मुक्त कनेक्शन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे। डिस्कॉम्स से सभी अविद्युतीकृत बीपीएल ग्रामीण गृहों को कनेक्शन प्रदान किए जाने अपेक्षित थे। तथापि, डिस्कॉम्स मार्च 2018 तक केवल 15.90 प्रतिशत बीपीएल ग्रामीण गृहों को ही कनेक्शन प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त, दो डिस्कॉम्स (जयपुर एवं जोधपुर) मार्च 2021 तक बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके एवं क्रमशः 2,728 (11 प्रतिशत) तथा 50,618 (51.81 प्रतिशत) को कनेक्शन जारी किए जाने का अभाव था। अजमेर डिस्कॉम् ने योजना के तहत बीपीएल परिवारों को लक्षित कनेक्शनों की संख्या से 19,442 अधिक कनेक्शन प्रदान किए। इस प्रकार, मार्च 2021 तक केवल 85.52 प्रतिशत बीपीएल ग्रामीण गृहों को कनेक्शन प्रदान किए जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सीटीएल में सामग्री के परीक्षण की शर्त में शिथिलता प्रदान करने एवं इस प्रकार सामग्री की गुणवत्ता को जोखिम में डालने के पश्चात भी, सभी अविद्युतीकृत उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने के लक्ष्यों की तुलना में डिस्कॉम्स की उपलब्धि कम थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने सीटीएल परीक्षण सहित गुणवत्ता को कम करने वाली किसी भी शर्त में शिथिलता नहीं दी थी। इसने आगे कहा कि जयपुर डिस्कॉम्स में यद्यपि आरएचएच विद्युतीकरण में तीव्रता लाने हेतु सीटीएल परीक्षण में शिथिलता दी थी तथापि इसने सामग्री की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया था क्योंकि प्रेषण पूर्व निरीक्षण के दौरान निर्माता की कार्यशाला में सामग्री का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, जयपुर डिस्कॉम्स ने सभी अविवादित, स्वेच्छाचारी एवं पात्र घरों को कनेक्शन जारी किए थे।

उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि जयपुर डिस्कॉम् ने निर्धारित समय सीमा के भीतर परिकल्पित कनेक्शन जारी करने की पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। साथ ही, अन्य दो डिस्कॉम्स ने परिकल्पित कनेक्शनों को जारी न करने का उत्तर नहीं दिया था।

बीपीएल/सार्वजनिक संस्थानों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में डिस्कॉम्स के निष्पादन की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

बीपीएल परिवारों को कनेक्शन जारी करना

2.15.2 आरजीजीवीवाई (डीडीयूजीजेवाई में समाहित) का एक मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना था। तदनुसार, 12वीं योजना

(प्रथम चरण) एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत क्रमशः 4.43 लाख⁴⁰ बीपीएल परिवारों एवं 2.34 लाख बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने परिकल्पित थे। तथापि, डिस्कॉम्स इन योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 2.41 लाख⁴¹ बीपीएल परिवारों (दिसम्बर 2019 तक) एवं 2.00 लाख⁴² बीपीएल परिवारों (मार्च 2021 तक) को ही विद्युत कनेक्शन प्रदान कर सके।

सरकार ने कहा कि जयपुर डिस्कॉम्स में सभी अविवादित, स्वच्छाचारी एवं पात्र गृहों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये थे। इसने आगे कहा कि जोधपुर डिस्कॉम्स ने सौभाग्य एवं डीडीयूजीजेवाई की अंतिम सीमा तिथि यथा 31 मार्च 2019 के पश्चात चिन्हित किए गये अतिरिक्त ग्रामीण गृहों हेतु कनेक्शनों को कवर करने हेतु अतिरिक्त डीपीआर तैयार की।

उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स सभी बीपीएल घरों को विद्युत प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे जो सुनिश्चित नहीं किया गया था।

कनेक्शन जारी करने में विलंब/कमियां

2.15.3 डिस्कॉम्स के राजस्व नियमावली के अनुसार, विद्युत कनेक्शन, सेवा कनेक्शन आदेश (एससीओ) जारी होने की तिथि से 15 दिवसों के भीतर जारी किया जाना चाहिए। चयनित परियोजनाओं में तीन डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध करवाए गये कनेक्शन जारी करने से संबंधित आंकड़ों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 2.11
विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने में विलम्ब

(आंकड़े: संख्या में)

विवरण	जयपुर	अजमेर	जोधपुर
1 अप्रैल 2017 के पश्चात जारी कनेक्शन	18528	36830	32710
निर्धारित समयसीमा के भीतर जारी कनेक्शन	3678	36830	32709
निर्धारित समयसीमा के पश्चात जारी कनेक्शन	14580	0	1
• एक वर्ष तक का विलम्ब	14050	0	1
• एक से तीन वर्षों तक का विलम्ब	489	0	0
• तीन से पाँच वर्षों तक का विलम्ब	27	0	0
• पाँच वर्षों से अधिक का विलम्ब	14	0	0

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जयपुर डिस्कॉम्स ने 14050 कनेक्शन एक वर्ष तक के विलम्ब से जारी किए जबकि 530 कनेक्शनों को जारी किए जाने में अत्यधिक यथा एक वर्ष से पाँच वर्षों तक का विलम्ब था। साथ ही, लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गये आंकड़ों के अनुसार, अजमेर डिस्कॉम्स एवं जोधपुर डिस्कॉम्स (एक प्रकरण के अलावा) में सभी प्रकरणों में एससीओ जारी किए जाने एवं कनेक्शन जारी किए जाने की तिथि समान ही पायी गई थी। इसने इंगित किया कि इन दो डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ें विश्वसनीय नहीं थे।

40 जयपुर डिस्कॉम्स-1.35 लाख, अजमेर डिस्कॉम्स-1.49 लाख एवं जोधपुर डिस्कॉम्स-1.59 लाख।

41 जयपुर डिस्कॉम्स-52,206, अजमेर डिस्कॉम्स-1,12,012 एवं जोधपुर डिस्कॉम्स-76,924।

42 जयपुर डिस्कॉम्स-22,066, अजमेर डिस्कॉम्स-1,31,153 एवं जोधपुर डिस्कॉम्स-47,087।

कनेक्शन जारी किए जाने से संबंधित आंकड़ों के आगे के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 4,804 उपभोक्ताओं⁴³ को विद्युत कनेक्शन, जिसमें एससीओ मार्च 2017 से पूर्व, अर्थात् कार्यों को प्रदान करने से पूर्व, जारी किये गये थे, के दावे डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किए गये थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि एससीओ जारी किए जाने के स्थान पर फीडर-वार कनेक्शन जारी किए जाने के निर्देशों, आरओडब्ल्यू समस्याओं, डीटी के स्थान के संबंध में लाभार्थियों के मध्य विवाद इत्यादि के कारण कनेक्शन जारी करने में विलंब हुए थे।

सार्वजनिक संस्थानों के विद्युतीकरण की सीमा

2.15.4 गांव विद्युतीकरण की नई परिभाषा में निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अतिरिक्त, एक गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाएगा यदि सार्वजनिक स्थानों जैसे कि विद्यालयों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों एवं सामुदायिक केंद्रों इत्यादि पर विद्युत प्रदान की जाती है। आरईसी ने भी डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गांव विद्युतीकरण के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इन सार्वजनिक संस्थानों को विद्युत अवसंरचना के विस्तार करने पर जोर दिया (12 मई 2017)। साथ ही, राजस्थान सरकार ने डिस्कॉम्स से अविद्युतीकृत विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का अनुरोध किया (15 जून 2017)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईसी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के राज्य सरकार को पत्र, जिसमें यह कहा गया था कि राजस्थान राज्य में 45576 विद्यालय विद्युत आपूर्ति कनेक्शन के बिना चल रहे थे, की प्रति अग्रेषित की (मई 2017)। आरईसी ने राज्य सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अविद्युतीकृत विद्यालयों के आंकड़ों का मिलान करने एवं इन विद्यालयों के लिए विद्युत अवसंरचना प्रदान किए जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रदान करने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने सूचित किया (मई 2017) कि ग्रामीण क्षेत्रों के 30191 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है। तत्पश्चात्, एमओपी, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को गाँवों के सभी विद्यालयों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (जुलाई 2019) क्योंकि उन्होंने सभी गाँवों को 100 प्रतिशत विद्युतीकृत किए जाने की घोषणा की थी। साथ ही, यह भी सलाह दी गई थी कि सरकारी विद्यालयों हेतु कम टैरिफ श्रेणी पर विचार करें जिससे उनकी संचालन लागत कम होगी एवं उन्हें विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा तैयार की गई डीपीआर में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों को कनेक्शन प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक विद्युत अवसंरचना का प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार/डिस्कॉम्स ने न तो सरकारी विद्यालयों के लिए कम टैरिफ के लिए कार्यवाही शुरू की एवं न ही ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों में विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित किये। साथ ही, भारत सरकार ने राज्य द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर राजस्थान राज्य को 100 प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित किया (अप्रैल 2018)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य/डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई सूचना गलत थी क्योंकि 100 प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित करने हेतु सभी परिकल्पित मानदण्ड पूर्ण नहीं किए गए थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 10,320 विद्यालयों को विद्युत कनेक्शन

43 जयपुर डिस्कॉम्स-3,215, अजमेर डिस्कॉम्स-137 एवं जोधपुर डिस्कॉम्स-1,452।

प्रदान नहीं किये जा सके थे (नवंबर 2020)। अन्य सार्वजनिक स्थलों जैसे कि पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों एवं सामुदायिक केंद्रों इत्यादि के विद्युतीकरण संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के पश्चात भी, डिस्कॉम्स राज्य में 100 प्रतिशत गांव विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे।

सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों का विद्युतीकरण नहीं होने के तथ्य को स्वीकार किया। इसने आगे कहा कि यद्यपि सभी यूईवी में सार्वजनिक स्थानों तक आवश्यक आधारभूत अवसंरचना का निर्माण किया गया था, तथापि आवेदन प्राप्त होने एवं मांग जमा करने के पश्चात कनेक्शन जारी किए गए थे।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि निर्धारित मानदंडों को पूर्ण किए बिना गांव को विद्युतीकृत घोषित करना गलत था।

विद्युत आपूर्ति का निष्पादन

2.16 डीडीयूजीजेवाई का एक मुख्य उद्देश्य गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति एवं कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करना था। विद्युत की विश्वसनीय आपूर्ति हेतु, अधिकतम मांग को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता होनी चाहिए; विद्युत का उपभोग कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए; एवं टीएंडडी प्रणाली को अत्यधिक विद्युत कटौती का सामना नहीं करना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विद्युत मांग, विद्युत मांग की पूर्ति, अधिकतम मांग एवं अधिकतम मांग की पूर्ति की स्थिति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 2.12

2016-20 के दौरान विद्युत मांग एवं अधिकतम मांग की कमी का विवरण

(आंकड़े मिलियन इकाईयों में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
विद्युत मांग	67638	71194	79815	81281
विद्युत मांग की पूर्ति	67415	70603	79626	81222
कमी	223	591	189	59
अधिकतम मांग	10613	11722	13276	14277
अधिकतम मांग की पूर्ति	10348	11564	13276	14277
कमी	265	158	0	0

स्रोत: सीईए आंकड़े

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए गत चार वर्षों के दौरान राज्य में विद्युत की आवश्यकता एवं विद्युत की उपलब्धता के मध्य का अंतर नगण्य था। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान अधिकतम मांग एवं अधिकतम मांग पूर्ति के मध्य का अंतर केवल 2.50 प्रतिशत तथा 1.35 प्रतिशत के मध्य था, जबकि 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान, राज्य अधिकतम मांग को 100 प्रतिशत पूर्ण करने में सक्षम था।

बिलिंग चक्र

2.17 राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने अपने टैरिफ आदेश 2017 में अधिदेश किया कि डिस्कॉम्स को बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन हेतु कदम उठाने चाहिए, जिससे कि कम से कम 1 अप्रैल 2018 से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मासिक आधार पर बिलिंग की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर डिस्कॉम्स ने घरेलू उपभोक्ताओं को, जयपुर परियोजना के अलावा जहाँ बिल जनवरी 2019 से मासिक आधार पर जारी किए जा रहे हैं, अप्रैल 2019 तक द्विमासिक⁴⁴ आधार पर विद्युत बिल जारी किए। साथ ही, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने क्रमशः दो परियोजनाओं एवं एक परियोजना में मासिक बिलिंग विलंब से शुरू की (दिसंबर 2020)। जबकि शेष परियोजनाओं में उन्होंने मासिक बिलिंग शुरू नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स आरईआरसी के आदेश के क्रियान्वयन में तत्पर नहीं थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि मासिक बिलिंग केवल अजमेर शहर वृत्त में ही की जा रही है।

इस प्रकार तथ्य यही रहा कि अजमेर डिस्कॉम (अजमेर शहर वृत्त के अलावा) एवं जोधपुर डिस्कॉम ने आरईआरसी के निर्देशों का पालन नहीं किया था।

बीपीएल की विद्युत बिल भुगतान क्षमता

2.18 डिस्कॉम्स के राजस्व नियमावली के वाक्यांश-21 में प्रावधान है कि प्रथम बिल कनेक्शन जारी होने की तिथि से तीन माह से अधिक विलंबित नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीनों डिस्कॉम्स के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिल नियमित आधार पर जारी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में, लाभार्थियों को लगता है कि वे समस्त राशि का भुगतान एक मुश्त नहीं कर सकते हैं एवं इसलिए कभी-कभी अत्यधिक संचित बकाया एवं यहां तक कि संबंध-विच्छेद का भय रहता है। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, गलत बिलिंग के प्रकरण भी पाये गए थे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 6.7 में की गई है।

(अ) प्रथम बिल जारी किए जाने में विलंब

सभी तीनों डिस्कॉम्स की नौ चयनित परियोजनाओं में 99,342 लाभार्थियों के बिलिंग आंकड़ों (वित्तीय वर्ष 2019-20) के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 8,940 लाभार्थियों⁴⁵ को प्रथम बिल जारी किए जाने में एक दिवस से 1,289 दिवसों के मध्य का अत्यधिक विलंब था। बिलिंग आंकड़े (वित्तीय वर्ष 2019-20) भी अपूर्ण पाए गये थे क्योंकि इसमें चयनित परियोजनाओं के 6,920 लाभार्थियों के अभिलेख दर्ज नहीं थे।

44 द्विमासिक से आशय 'प्रत्येक दो माह में एक बार' से है।

45 जयपुर डिस्कॉम-1,234 (1 से 632 दिवस), अजमेर डिस्कॉम-5,722 (1 से 1,289 दिवस) एवं जोधपुर डिस्कॉम-1,984 (1 से 1,016 दिवस)।

(ब) बीपीएल लाभार्थियों को बिल

डिस्कॉम्स के एमआईएस अभिलेखों (मार्च 2020 से नवंबर 2020) के विश्लेषण से उजागर हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बीपीएल उपभोक्ताओं को विद्युत उपभोग बिल जारी करने में कमी थी। जयपुर डिस्कॉम में, 18.35 प्रतिशत से 20.60 प्रतिशत के मध्य नियमित बीपीएल ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत बिल जारी नहीं किए गए थे। अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के एमआईएस ने विपरीत स्थिति दर्शायी अर्थात् जारी किए गए विद्युत बिलों की संख्या नियमित बीपीएल ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या से अधिक थी, जो इंगित करता है कि एमआईएस या तो गलत थी अथवा माह के दौरान जारी किए गए पूरक बिल भी जारी किए गए बिलों के आंकड़ों में शामिल थे।

एमआईएस के विश्लेषण से आगे उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स के ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल श्रेणी में स्थायी रूप से संबंध-विच्छेद किए गए उपभोक्ता (पीडीसी) में वृद्धि का दौर था। जयपुर डिस्कॉम में, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल पीडीसी मार्च 2020 में 1,00,176 से बढ़कर नवंबर 2020 में 1,09,270 हो गये। इसी प्रकार अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम में, इसी अवधि में यह क्रमशः 1,19,908 से बढ़कर 1,21,536 एवं 56,448 से बढ़कर 57,069 पीडीसी हो गये। चयनित परियोजनाओं में लाभार्थियों के आगे के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 31 मार्च 2020 को 2,047 लाभार्थियों के विद्युत कनेक्शन संबंध-विच्छेद कर दिए गए थे। इन 2,047 लाभार्थियों में से 919 लाभार्थी पीडीसी में परिवर्तित हो गए थे। बीपीएल पीडीसी की संख्या में निरंतर वृद्धि इंगित करती है कि बीपीएल उपभोक्ता विद्युत बिलों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण, बीपीएल लाभार्थी विद्युत बिलों का भुगतान करने में विफल रहे जिसके कारण पीडीसी में वृद्धि हुई।


भुगतान में चूक की सीमा

2.19 तीन डिस्कॉम्स द्वारा विद्युत के विक्रय के पेटे व्यापार प्राप्तियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि विद्युत के विक्रय हेतु व्यापार प्राप्तियों के साथ-साथ पीडीसी के विरुद्ध बकाया राशि में वृद्धि का दौर था। डिस्कॉम्स-वार व्यापार प्राप्तियों एवं पीडीसी के विरुद्ध बकाया राशि की स्थिति नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:

चार्ट संख्या 2.3

विद्युत के विक्रय के लिए देय राशि एवं पीडीसी के विरुद्ध देय राशि की डिस्कॉम-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)



यह देखा जा सकता है कि जयपुर डिस्कॉम में 2018-19 के अलावा विद्युत के विक्रय के समक्ष व्यापार प्राप्तियों में नियमित उपभोक्ताओं के साथ-साथ पीडीसी में निरंतर वृद्धि हुई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम ने श्रेणी-वार नियमित उपभोक्ताओं एवं पीडीसी के विरुद्ध बकाया देय राशियों का विवरण नहीं रखा था। ऐसे आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा पीडीसी के विरुद्ध बकाया देय की आवधिकता ज्ञात नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम पीडीसी से अपने देय राशि की वसूली में तत्पर नहीं थे जो कि पीडीसी के विरुद्ध देय राशि में निरंतर वृद्धि से स्पष्ट है।

सरकार ने कहा कि डिस्कॉम नियमित एवं पीडीसी देयता के बकाया का विवरण श्रेणीवार संधारित करते हैं एवं उत्तर के समर्थन में नमूना दस्तावेज प्रस्तुत किए।

उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों में भी पीडीसी से बकाया देयता के श्रेणीवार विवरण नहीं थे। साथ ही, उत्तर पीडीसी से बकाया देयता में निरंतर वृद्धि के मुद्दे पर मौन था।

एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां

2.20 पारेषण व वितरण (टीएंडडी) हानियां विद्युत, जो कि उत्पादित की गईं लेकिन अभीष्ट उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंची, को दर्शाती हैं। टीएंडडी हानियां तकनीकी अक्षमता (यथा तारों एवं उपकरणों की प्रतिरोधक क्षमता के कारण उत्पन्न विद्युत की हानि) एवं चोरी का परिणाम हैं। साथ ही, एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों की अवधारणा, इसे मापने के संदर्भ में हानि की स्थिति की वास्तविक तस्वीर दर्शाती है। यह विद्युत हानि (तकनीकी हानि + चोरी + बिलिंग में अक्षमता) एवं वाणिज्यिक हानि (भुगतान में चूक + संग्रहण में अक्षमता) का संयोजन है। एटीएंडसी हानि को सूत्र यथा $\{1 - (\text{बिलिंग दक्षता} \times \text{संग्रहण दक्षता})\} \times 100$ का प्रयोग कर मापा जाता है।

योजना का एक प्रमुख उद्देश्य राज्यों के परामर्श से ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेपवक्र (डिस्कॉम्स-वार) के अनुसार एटीएंडसी हानियों को कम करना था। एमओपी द्वारा निर्धारित एटीएंडसी हानियों को कम करने के लक्ष्यों के समक्ष वास्तविक उपलब्धि को नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 2.13

एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए अनुमोदित प्रक्षेपवक्र का विवरण

(आंकड़े प्रतिशत में)

डिस्कॉम	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
जयपुर	22.50	35.74	20.50	29.84	19.00	25.22	17.50	25.66	16.00	27.61
अजमेर	18.50	27.81	17.50	25.18	16.50	22.94	15.50	23.31	14.50	21.99
जोधपुर	19.22	29.64	17.30	26.16	16.00	23.37	15.00	35.04	14.50	37.99
राजस्थान	20.00	31.33	18.50	27.34	17.25	23.99	16.00	28.15	15.00	29.65


स्रोत: डीडीयूजीजेवाई दिशानिर्देश एवं डिस्कॉम्स के वार्षिक प्रतिवेदन।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि डिस्कॉम्स डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अनुमोदित प्रक्षेपवक्र की सीमाओं के भीतर एटीएंडसी हानियों को सीमित नहीं कर सके।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत फीडर पृथक्करण, प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं मीटरिंग पर पूंजी निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत प्रदान करने एवं अधिक दक्षता के साथ विद्युत वितरण के परिणामस्वरूप हानियां कम करने के उद्देश्य से किया गया था। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत आगत, डिस्कॉम्स द्वारा विक्रय की गई एवं वसूल की गई विद्युत का विवरण नीचे चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट संख्या 2.4

2017-18 से 2019-20 के दौरान डिस्कॉम्स वार आगत विद्युत के समक्ष विक्रय की गई एवं वसूल की गई विद्युत




स्रोत: डिस्कॉम्स के वार्षिक लेखे

2017-20 की अवधि के दौरान, जोधपुर डिस्कॉम में आगत विद्युत की वसूली प्रतिशतता में 72.20 प्रतिशत से 58.65 प्रतिशत की अत्यधिक कमी आई एवं जयपुर डिस्कॉम में यह 70.45

प्रतिशत से कम होकर 68.47 प्रतिशत हो गई। अजमेर डिस्कॉम में, आगत विद्युत की वसूली प्रतिशतता में 72.60 प्रतिशत से 73.79 प्रतिशत का मामूली सुधार हुआ।

चार्ट संख्या 2.5
2017-18 से 2018-19 के दौरान डिस्कॉम्स वार एटीएंडसी हानियां



स्रोत: डिस्कॉम्स के वार्षिक लेखे

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि सभी तीनों डिस्कॉम्स की संग्रहण दक्षता में गिरावट की प्रवृत्ति थी जबकि इस अवधि के दौरान जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम की एटीएंडसी हानियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी एटीएंडसी हानियों को कम किए जाने के लक्ष्यों, जो कि एमओपी द्वारा संबंधित डिस्कॉम्स के परामर्श से अंतिम रूप दिए गये थे, को प्राप्त नहीं कर सका। यह भी देखा गया था कि डिस्कॉम्स ने समीक्षा, योजना एवं निगरानी (आरपीएम) समिति को एटीएंडसी हानियों यथा वित्तीय वर्ष 2016 में 30.40 प्रतिशत की एटीएंडसी हानियों को वित्तीय वर्ष 2019 में 21.30 तक कम किए जाने के गलत आंकड़ें प्रस्तुत (जनवरी 2020) किये थे। लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं होने के प्रमुख कारण संग्रहण दक्षता में गिरावट की प्रवृत्ति एवं विद्युत की चोरी थे।

सरकार ने कहा कि जयपुर डिस्कॉम में एटीएंडसी हानियों में गिरावट की प्रवृत्ति थी तथापि डीडीयूजीजेवाई हानि प्रक्षेपवक्र से अभी भी अंतर है। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम द्वारा राज्य सरकार से टैरिफ सब्सिडी प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसने आगे कहा कि 31 मार्च 2021 को अजमेर डिस्कॉम के एटीएंडसी हानियों में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परिकल्पित 14.25 प्रतिशत के समक्ष 13.73 प्रतिशत की कमी हुई है।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि अजमेर डिस्कॉम के वित्तीय विवरणों में वर्ष 2020-21 हेतु दर्शाई गई एटीएंडसी हानियां 21.60 प्रतिशत थीं।

निष्कर्ष

परियोजना निर्माण

- डिस्कॉम्स ने एनएडी तैयार नहीं किए थे। परिणामस्वरूप, वह फीडर पृथक्करण की आवश्यकता एवं उप-पारेषण व वितरण तंत्र में गंभीर रिक्तियों की पहचान करने में विफल रहे।
- डिस्कॉम्स ने परियोजनाएं डीपीआर को तैयार किए जाने से पूर्व विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण नहीं किए थे जिसके कारण निष्पादित कार्यों की परिकल्पित/अनुमोदित मात्रा में व्यापक विचलन हुआ।
- डिस्कॉम्स अपने जीएसएस/बिलिंग कार्यालयों एवं अन्य परिसरों को ऑप्टिकल फाइबर तंत्र से जोड़ने से वंचित रहे थे क्योंकि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत परिकल्पित होने के उपरांत भी डीपीआर तैयार नहीं की गई थी।

परियोजना क्रियान्वयन

- परियोजनाओं को प्रदान करने एवं निष्पादित किए जाने में अत्यधिक विलंब हुआ था।
- बहुत पहले वर्ष 2008 में फीडर पृथक्करण का कार्य प्रारंभ करने एवं XI व XII योजना में तथा डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अत्यधिक व्यय किए जाने के उपरांत भी, कृषि एवं गैर कृषि फीडर के पृथक्करण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण एवं आवर्धन का कार्य निर्दिष्ट मानदंडों का पालन किए बिना किया गया था।
- डिस्कॉम्स ने डिस्कॉम्स समन्वय संगोष्ठी (डीसीएफ) द्वारा निर्धारित विविधता कारक के अनुसार डीटी स्थापित किए जाने की पालना नहीं की थी एवं आवश्यकता के आधिक्य में ट्रांसफार्मर क्षमता के पेटे ₹ 53.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।
- डिस्कॉम्स ऊर्जा के उचित लेखांकन के लिए तंत्र बनाने में विफल रहे क्योंकि डीटी पर मीटरिंग एवं फीडरों पर दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन को सुनिश्चित नहीं किया गया था।
- निर्धारित मानक/मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना गांव 100 प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित किए गये थे।
- बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं में पीडीसी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी।
- डिस्कॉम्स मार्च 2019 तक 'पावर फॉल ऑल' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ अनुमोदित प्रक्षेपवक्र के अनुसार एटीएंडसी हानियों में कमी करने में विफल रहे थे।

सिफारिशें

डिस्कॉम्स

- प्रणाली सुदृढीकरण आवश्यकताओं की पहचान करने हेतु तंत्र विकसित करें।
- विधिवत अद्यतन प्रणाली सुदृढीकरण आवश्यकताओं के आधार पर रणनीतिक एवं परिचालन योजना तैयार करें।
- लाभार्थियों की पहचान करने हेतु योजना विशिष्ट डीपीआर तैयार किए जाने से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए एक तंत्र विकसित करें जिससे कि लाभ नियत एवं लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।
- परियोजनाओं को प्रदान किए जाने एवं निष्पादित किए जाने में विलंब को टालने हेतु एक प्रणाली विकसित करें।
- नियत लाभ प्राप्त करने हेतु योजना के अंतर्गत परिकल्पित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक स्तर पर मीटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित कर उचित ऊर्जा लेखांकन हेतु एक तंत्र का निर्माण करें।
- लक्षित दृष्टिकोण के साथ चोरी की रोकथाम हेतु ऊर्जा लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

